**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 418 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**PRIYANK BHARATI …APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS. …RESPONDENTS**

**INDEX**


| S.No. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 & 9 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 22.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI | |
| | ANNEXURES | |
| 2. | COPY OF THE MOM DT. 06.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1 | |
| 3. | COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 04.09.2020 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2 | |
| 4. | COPY OF THE PHOTOS OF INSTALLED PILLARS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3 | |
| 5. | COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 29.01.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4 | |

| | | |
|---|---|---|
| **6.** | **COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 21.12.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5** | |
| **7.** | **COPY OF THE GOVERNMENT ORDERS DT. 27.12.2024 AND 07.09.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6 AND R-7** | |
| **8.** | **COPIES OF THE NOTIFICATION DT. 07.10.2016 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8** | |
| **9.** | **COPY OF THE NOTIFICATION DT. 16.03.2010 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9** | |
| **10.** | **COPIES OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 20.09.2022 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-10** | |
| **11.** | **A COPY OF THE LETTER DT. 20.11.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-11** | |

***THROUGH COUNSEL***

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

**DATE: 26.11.2025**
**PLACE: NOIDA**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2025**

HIGH COURT ALLAHABAD AFFIDAVIT 0187338

**IN THE MATTER OF:**

**PRIYANK BHARTI ……APPLICANT**

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS. …….RESPONDENT(S)**

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 & 9 IN COMPLIANCEOF THE ORDER DT. 22.09.2025 PASSED BY THE HON'BLENATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED AS UNDER:**

## I. BACKGROUND OF THE MATTER

1. That the Applicant has raised a plea that on account of cloud burst on 05.08.2025 at Dharali at the confluence of the Kheer Gad & Bhagirathi River, severe damage has been caused in the downstream districts including Bijnor, Muzaffarnagar, Meerut, Hapur and several other places.

2. That further the Applicant has alleged that though cloud burst is a natural calamity, large-scale devastation was caused due to rampant illegal encroachments and unregulated construction on the river flood plain. Hence, précised grievance of the applicant is against encroachment and constructions of the flood plains of the river.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

3. That the above mentioned O.A was listed for hearing on 22.09.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply /response. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

*"5. Issue notice to the respondents for filing their reply by way of affidavit at least week before the next date of hearing.*

*8. List along with O.A No. 436/2025 on 27.11.2025."*

## II. COMPLIANCE UNDERTAKEN

4. That under the chairmanship of the Chief Secretary, a meeting was held on 06.11.2025 with the Irrigation & Water Resources Department, Environment, Forest & Climate Change Department, Namami Gange & Rural Water Supply Department, and the Revenue Department, in which the Chief Secretary directed all the concerned departments to provide their departmental opinions to the Irrigation & Water Resources Department.

   A Copy of the Minutes of Meeting dt. 1111.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

5. That in compliance of the aforementioned directions, the reports submitted by the concerned departments states as follows:

## III. DEMARCATION USING LATEST TECHNOLOGIES

6. That the floodplain zones of rivers are determined using the most advanced technologies, including LiDAR (Light Detection and Ranging) integrated with GIS mapping.

7. That the process of physical demarcation Ganga River from **Haridwar to Unnao (Segment B- Phase-1)** has been completed **using LiDAR technology**

Oath Commissioner A.I. Lucknow Civil Secretariat

**on the basis of 1:5 and 1:25 flood frequency**. The Irrigation & Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, vide Government Order dated 04.09.2020, has determined the floodplain zonefrom **Haridwar to Unnao (Segment B- Phase-1)** as per the report submitted by the Central Water Commission before the Hon'ble Tribunal, New Delhi in the matter of ***M.C. Mehta vs. Union of India (O.A. No. 200/2014)***. It is submitted that the said stretch **covers the districts of Bijnor, Meerut, and Hapur.** Thereafter, ground-truth verification was carried out by field teams, and physical pillars were installed in the respective districts.

A Copy of the said Government Order dated 04.09.2020 is being annexed herewith as **ANNEXURE-R-2.**

Copies of photographs of the said installed pillars are being annexed herewith as **ANNEXURE-R-3.**

8. That the work of delineation of the Ganga River from Unnao to Ballia **(Segment –B Phase 2)** has been completed in consonance of the Ganga Rejuvenation Notification, 2016 on the basis of 1:100 flood frequency by way of using LiDAR Data and 1 mtr Contour data, and the Government order dated 29.01.2025 has been issued.

   A copy of the said Government Order dated 29.01.2025 is being annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

9. That with respect to **river Yamuna**, it is respectfully submitted that the work of identification and delineation of its floodplain zone has been completed, as already stated above. That the matter relating to the physical demarcation of the floodplain zone of river Yamuna is presently pending before the Hon'ble Tribunal in ***Sharad Gupta vs. State of U.P. & Ors. (O.A. No. 316 of 2022).***

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow

A copy of the said Government Order dated 21.12.2024 is being annexed herewith as **ANNEXURE- R-5.**

10. Additionally, the work of delineation of the Suav River has been completed and the physical demarcation of the Solani River has been completed in consonance of the Ganga Rejuvenation Notification , 2016 on the basis of 1:100 flood frequency by way of 1 mtr Contour data and LiDAR Data, and Government Orders dated 27.12.2024 and 07.09.2025 have been issued respectively.

Copies of the said Government Orders dated 27.12.2024 and 07.09.2025 are being annexed herewith as **ANNEXURE- R-6 / 7.**

11. Further, the work of determining the floodplain zones of 20 rivers (Kali (East), Varuna, Hindon, Gomti, Ramganga, Betwa, Ghaghra, Rathi, Sai, Saryu, Tedhi, Budhi Ganga, Khokhri, Pandu, Noon, Sengar, Aril, Ishan, Kali (West), and Krishni) is in progress, and the progress report has been submitted in the matter of ***Ganga Pollution Vs State of U.P. & Ors. (O.A. No. 515/2023)***.

## IV. IMMEDIATE AND TIME-BOUND REMOVAL OF ENCROACHMENTS

12. That it is submitted that as per the Rule (55) of the Ganga Rejuvenation Notification, 2016, the following powers and functions regarding the rejuvenation, protection, restoration, and rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries lie within the jurisdiction of the District Ganga Committee:

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

*" (a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;*

*(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order)*

*(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.*

*(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.*

A Copy of the Government of India Notification dt. 07.10.2016 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

13.That is submitted that prior to the aforementioned Government Order, the Chief Secretary had issued Government Order, Irrigation Section-2, No. 1417B/09-27-Irrigation-2-181 Flood/09 dated 16.03.2010, to prevent illegal constructions and encroachments in the flood-affected areas (floodplain zones) of rivers. The relevant extracts are produced as under:

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

*"1. Under Master Plans, the floodplain zones along rivers should be clearly demarcated as flood-affected areas, and land use in such areas should be kept green so that no form of construction is permitted. In the zoning regulations of approved Master Plans of cities, construction in floodplain zones must be strictly prohibited.*

*2. Under the RBO Act, U.P. Urban Planning & Development Act, 1973, and the Industrial Development Act, 1976, no permission shall be granted for any construction activity in the floodplain zone, nor shall any land use map be approved. Illegal constructions must be prevented through the provisions of these Acts."*

A copy of the said Government of India Notification dated 16.03.2010 is annexed herewith as **ANNEXURE R-9.**

14. Further, as per **Government of India Notification dated 07.10.2016, Rule 6 (3):**

*" No person shall construct any structure, whether permanent or temporary, for residential, commercial, industrial, or any other purpose in the River Ganga, Bank of River Ganga, or its tributaries, or the active flood plain area of River Ganga or its tributaries.*

*Provided that in exceptional circumstances such as natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures may be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga, acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee.*

*Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or*

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

*active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them."*

15. It is submitted that as per the above submissions, this matter falls under the functions of the District Ganga Committee for the removal of the encroachments and for the restoration and rejuvenation of the River Ganga.

16. That in this regard, the Namami Gange & Rural Water Supply Department, vide Government Order dated 20.09.2022, has issued detailed instructions to all District Magistrates/District Ganga Committees for preventing construction and encroachment on the banks of the Ganga River and its tributaries or on their floodplain areas.

    A copy of the said Government Order dated 20.09.2022 is annexed here with as **ANNEXURE-R-10.**

17. That it is respectfully submitted that while the work of flood plain zone demarcation involves extensive surveys, technical mapping, and coordination among several engineering divisions, substantial progress has already been achieved. Government Orders for the flood plain zone have been issued, and steps are being taken to ensure that the remaining rivers are finalized within the timeframes prescribed by the Hon'ble Tribunal.

18. That it is further relevant to mention that the Secretary, Revenue Department, Government of Uttar Pradesh, in his comments on the file dated 20.11.2025,

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

which is in continuation of the letter of the Commissioner and Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow, dated 20.11.2025 has stated that there is no provision of allotment of river land in Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (as amended) as prescribed in the category of land mentioned in section 77(1) of said act, nor any Bhumidhari rights can be created.

Copy of the letter of Commissioner and Secretary, Revenue Board,Uttar Pradesh, Lucknow, dated 20.11.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE R-11.**

19.That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

20.Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

***THROUGH COUNSEL***

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
Ph: 9639286572

**DATE: 26.11.2025**
**PLACE: NOIDA**

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 418/2025

**IN THE MATTER OF:**

PRIYANK BHARTI ......APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. .......RESPONDENT(S)

**AFFIDAVIT**

I, DR. ARVIND KUMAR CHAURASIA..... aged about 59....... years S/o Shri Kanti Chand Chaurasia..., presently posted as Special Secretary Irrigation..., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

Chaurasia

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

DEPONENT

# VERIFICATION

Verified at Meerut on this 25th day of November, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

कूपन सं० 0187338
द्वारा शपथ की गई श्री/डा० अरविन्द कुमार चौरसिया, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
जिनका परिचय श्री राजेश कुमार वर्मा, समीक्षा अधिकारी।
दिनांक 23/11/25 समय 5:20 P.M.
वाद संख्या 418/2025
पक्षकार प्रियांक भारती बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य।
न्यायालय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
फीस वसूल गई हां

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

R.K.V.
(राजेश कुमार वर्मा)
I IDENTIFY THE DEPONENT
WHO HAS SIGNED BEFORE ME
समीक्षा अधिकारी
सिंचाई एवं जल संसाधन अनु०-4
उ०प्र० शासन।

23/11/2025
(अफजल इमाम फारुक)
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ०प्र० शासन।

**ओ0ए0 संख्या-418/2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-11-2025 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त**

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1- श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव,सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र. शासन।

2- डॉ0 हृषिकेश यशोद, सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।

3- श्री मनीष मित्तल, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. शासन।

5- श्री जोगेन्दर सिंह, विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ.प्र. शासन।

6- श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र. लखनऊ।

7- श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, यूनिट हेड नॉलेज एण्ड प्लानिंग, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा, उ0प्र0।

8- श्री राकेश यादव, मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र. लखनऊ।

बैठक में ओ0ए0 संख्या-418/2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय के समक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि उक्त वाद में राजस्व विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर दिनांक 11.11.2025 तक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा समेकित आख्या के आधार पर प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Secretariate

( डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया )
विशेष सचिव।

जारी
11/11/25

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
संख्या- 1431 /25-27-सिं0-4-ई-1980214
लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2025

बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।
5. विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र. लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAMA KANT VERMA
Date: 11-11-2025
12:36:20

( रमा कान्त वर्मा )
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner ★ Civil Secretariate ★ Lucknow

A.I.F.
23/11/2025
( अफजल इमाम फारूक )
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

महत्वपूर्ण

संख्या-104/2020/2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0)/19

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर 2020

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया हैं।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी0 तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फरूर्खाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये है।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखत जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

| क्रमांक | जनपद | लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड |
|---|---|---|
| 1. | बिजनौर | संलग्नक-1 (क) एवं 1 (ख) |
| 2. | अमरोहा | संलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख) |
| 3. | मुजफ्फरनगर | संलग्नक-3 (क) एवं 3 (ख) |
| 4. | मेरठ | संलग्नक-4 (क) एवं 4 (ख) |
| 5. | हापुड़ | संलग्नक-5 (क) एवं 5 (ख) |
| 6. | बुलंदशहर | संलग्नक-6 (क) एवं 6 (ख) |
| 7. | अलीगढ़ | संलग्नक-7 (क) एवं 7 (ख) |
| 8. | काशीराम नगर | संलग्नक-8 (क) एवं 8 (ख) |
| 9. | फरूर्खाबाद | संलग्नक-9 (क) एवं 9 (ख) |
| 10. | कन्नौज | संलग्नक-10 (क) एवं 10 (ख) |
| 11. | सम्भल | संलग्नक-11 (क) एवं 11 (ख) |
| 12. | बदायूँ | संलग्नक-12 (क) एवं 12 (ख) |
| 13. | शाहजहांपुर | संलग्नक-13 (क) एवं 13 (ख) |
| 14. | हरदोई | संलग्नक-14 (क) एवं 14 (ख) |
| 15. | उन्नाव | संलग्नक-15 (क) एवं 15 (ख) |
| 16. | कानपुर | संलग्नक-16 (क) एवं 16 (ख) |

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगी:-

(i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।

(ii) एम0ओ0इ0एफ0 एण्ड सी0सी0 की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।

(iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।

(iv) जैविक खेती।

(v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।

(vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर वाटर वे की डिसिल्टिंग।

(vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।

(viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।

(ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6 (3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3187 (इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्यूलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिंथ लेविल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।

(iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।

(v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।

(viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(ix) स्टोन क्रसिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

Oath Commissioner
Civil Secretariate
Lucknow

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इस सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुसंगत आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

12. ऐसे क्षेत्र जो विन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) से अच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से विन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।

13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्वीजिशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

17. नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, विजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधायें उपलब्ध न कराई जायें।

19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तदनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।

21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनिल गर्ग
सचिव।

Oath Commissioner
Civil Secretariate
Lucknow

(5)

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरंण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow

A.I.fa 23/11/2025
(अफजल इमाम फारूक)
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

**ANNEXURE R-3**

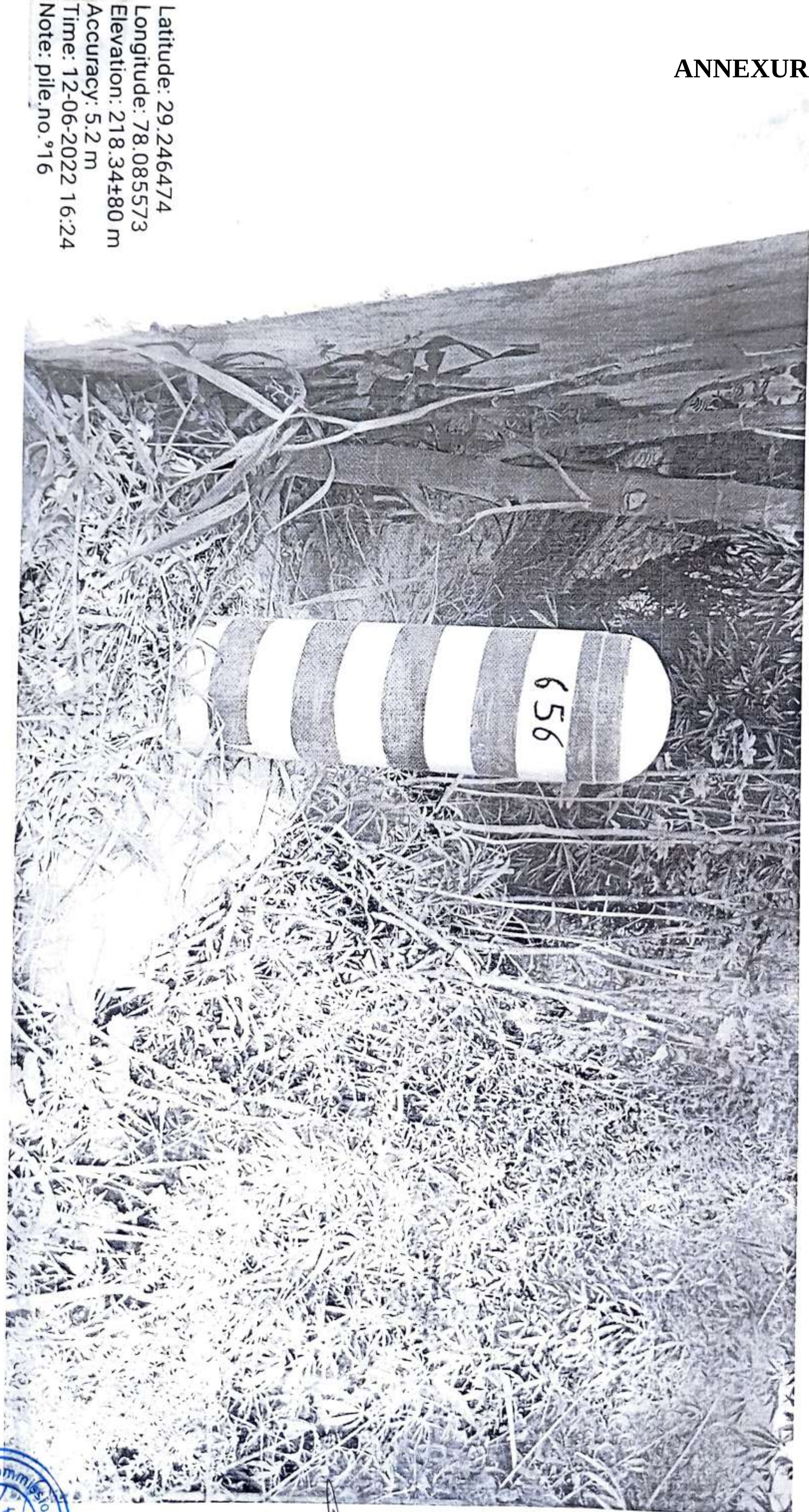


Oath Commissioner
Civil Secretariate
Lucknow

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariate

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

A.I.F. 23/11/2025

( अफजल इमाम फारूकी )
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

**ANNEXURE R-4**



<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 24/2025/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023</u>

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी , 2025

विषय: ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 16-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के प्रस्तर- 6 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

> "6. Learned Counsel for the State of UP has informed that simultaneously the exercise of ground truthing verification is in progress and after receipt of the final report, the said exercise will be completed by 15.12.2024. He has submitted that the delineation work of the stretch of 700 km of River Ganga in State of UP in Phase-II will be completed by 31st of December, 2024 and, thereafter, within four weeks the final notification will be issued."

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

| क्रमांक | जनपद | लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड |
|---|---|---|
| 1. | कानपुर | संलग्नक-1 |
| 2. | उन्नाव | संलग्नक-2 |
| 3. | फतेहपुर | संलग्नक-3 |
| 4. | रायबरेली | संलग्नक-4 |
| 5. | कौशाम्बी | संलग्नक-5 |
| 6. | प्रतापगढ़ | संलग्नक-6 |
| 7. | प्रयागराज | संलग्नक-7 |
| 8. | मीरजापुर | संलग्नक-8 |
| 9. | भदोही | संलग्नक-9 |
| 10. | वाराणसी | संलग्नक-10 |
| 11. | चंदौली | संलग्नक-11 |
| 12. | गाजीपुर | संलग्नक-12 |
| 13. | बलिया | संलग्नक-13 |

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.ए.संख्या-515/2023 गंगा प्रदूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (पूर्व में ओ.ए. संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-11-2024 के अनुपालन में गंगा नदी के सेगमेंट बी. फेज-2 (उन्नाव से बलिया) तक फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है । इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे ।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Aravind Kumar Chaurasia
( डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया )
Date: 28-01-2025 11:55:36

विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-25 /2025/107/2025-27-सिं0-4-16(रिट)(एन0जी0टी0)/2023 दिनांक 29 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता(शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by:
Amit Pranav
(अमित प्रणव)
Date: 29-01-2025 13:26:35
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

23/11/2025
(अफजल इमाम फारूक)
शपथ– आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–4
उ0प्र0 शासन।

महत्वपूर्ण

संख्या-685/2024/45 एन0जी0टी0 /2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0) /2019

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर , 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-673/2018 ओ०ए० संख्या-673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में यमुना नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 11-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करनेका कष्ट करें, जिसके द्वारा यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या- 673/2018 में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के निर्देश दिये गये है। पुनः ओ०ए० संख्या-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 के अन्तर्गत यमुना नदी के क्रिटीकल रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को दिनांक 30.11.2024 तक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, को दिनांक 21.12.2024 तक गजट नोटिफिकेशन जारी करने हेतु निर्देश दिये गये है।

3. तत्क्रम में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) दिनांक 21.11.2024 को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं पुनः दिनांक 30.11.2024 को अन्तिम रिपोर्ट (Latitude & Longitude) के साथ उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के मध्य पड़ने वाले जनपदों में खण्डों द्वारा ग्राउन्ड ट्रुथ वेरीफिकेशन दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करा लिया गया है। यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) एवं आलेख, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालनार्थ फ्लड प्लेन जोन के गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

4. उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ओ0ए0 सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के प्रस्तर- 5,17 एवं 32 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

" 5- **II. Department of Irrigation**

Demarcation of the Flood Plain Zone in GIS format including the geo-coordinates or locations of marking pillars.

**III**. Other concerned departments of the State Government (District Administration, Mines Departments) Details of any other activities outside forest land, as complainant; such as earth cutting resulting in soil erosion/changing land use pattern.

**17.** Another reply/updated report was filed by District Magistrate, Agra vide email dated 17.11.2023 stating that for demarcation, 1,020 pillars have been installed after total station survey with the help of Differential Global Positioning System (hereinafter referred to as "DGPS"). It is further said that Central Water Commission (hereinafter referred to as "CWC") 13 vide office memorandum dated 05.09.2023 has constituted a "Committee for Flood Plain Zoning of river Yamuna" for the stretches:

(i) From Asgerpur to Itawah

(ii) From Shahpur to Prayagraj.

**32.** It means that in case report is submitted by 30.11.2024, requisite notification by State of UP shall be issued by 21.12.2024

5. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-673/2018 (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 में पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) उपलब्ध कराये गये हैं।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

6. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये 100 वर्ष में एक बार बाढ की प्रत्याशा में यमुना नदी के रीच "असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक के फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

| क्रमांक | जनपद | लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड |
|---|---|---|
| 1. | गौतमबुद्ध नगर | संलग्नक-1 |
| 2. | अलीगढ | संलग्नक-2 |
| 3. | मथुरा | संलग्नक-3 |
| 4. | हाथरस | संलग्नक-4 |
| 5. | आगरा | संलग्नक-5 |
| 6. | फिरोजाबाद | संलग्नक-6 |
| 7. | इटावा | संलग्नक-7 |
| 8. | जालौन | संलग्नक-8 |
| 9. | औरैया | संलग्नक-9 |
| 10. | कानपुर देहात | संलग्नक-10 |
| 11. | हमीरपुर | संलग्नक-11 |
| 12. | कानपुर | संलग्नक-12 |
| 13. | फतेहपुर | संलग्नक-13 |
| 14. | बाँदा | संलग्नक-14 |
| 15. | चित्रकूट | संलग्नक-15 |
| 16 | कौशाम्बी | संलग्नक-16 |
| 17 | प्रयागराज | संलग्नक-17 |

Oath Commissioner, Civil Secretariate, Lucknow

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या- 673/2018 जैकब कोसी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य (निस्तारित) एवं ओ0ए0 सं0-316/2022 डा.शरद गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2024 के अनुपालन में यमुना नदी के क्रिटीकल रीच 'असगरपुर से इटावा एवं शाहपुर से प्रयागराज" तक 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी एवं प्रयागराज में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates ( Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें।

8. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न- यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Aravind Kumar Chauresia
( डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया )
Date: 21.12.2024 12:13:43
विशेष सचिव।

685/2024
पृष्ठांकन संख्या- /45 एन0जी0टी0 (1) /2024-27-सिं0-4-11(रिट)(एन0जी0टी0) /2019 -दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित प्रणव )
संयुक्त सचिव ।

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariate

Signed by Amit Pranav
Date: 21-12-2024 12:20:48

23/11/2025
( अफजल इमाम फारूक )
शपथ– आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–4
उ0प्र0 शासन।

**ANNEXURE R-6**

महत्वपूर्ण

संख्या-689/2024/17 रिट/2024-27-सिं0-4-14(रिट)(एन0जी0टी0)/23

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर , 2024

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में सोलानी नदी के फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20-12-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-632/2022 (I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 8-9-2024 को पारित आदेश के प्रस्तर-18 में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

" 18. In the circumstances, we permit both the States to complete work of determination/demarcation of Flood Plain Zone of River Sonali within the area, river flows in both the States----------."

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

पुन: प्रश्नगत वाद में दिनांक 15-10-2024 को सुनवाई करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के प्रस्तर-4 में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

"4. In respect of area of river in State of UP, we are informed that survey of area of river in District Saharanpur will be completed by 15.11.2024 and in District Muzaffarnagar by 15.12.2024 and progress report shall be submitted at least two days before the next date."

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है:-

| क्रमांक | जनपद | लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड |
|---|---|---|
| 1. | सहारनपुर | संलग्नक-1 |
| 2. | मुजफ्फरनगर | संलग्नक-2 |

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या-632/2022(I.A.No. 499/2024) श्री वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2024 के अनुपालन में सोलानी नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude)(प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है । इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें ।

5.उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Aravind Kumar Chaurasia
Date: 26-12-2024 13:19:29

( डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया )
विशेष सचिव।

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

पृष्ठांकन संख्या 625/2024/17 रिट (1)/2024-27-सिं0-4-14(रिट)(एन0जी0टी0) /2023 -दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता(गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Amit Pranav
Date: 26-12-2024 18:00:18

( अमित प्रणव )
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow

23.11.2025
( अफजल इमाम फारूक )
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

**ANNEXURE R-7**

संख्या-1101/25-27-सिं0-4-8(रिट)(NGT)/2022

प्रेषक

डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन ।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन ।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन ।

4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4** **लखनऊ:: दिनांक 7 सितम्बर, 2025**

**विषय-** ओ.ए.संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में जनपद बलरामपुर में सुऑव नदी का फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जॉने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन में निर्गत अधिसूचना संख्या-151/2025-439/2025-27-सिं०4-FCN-1832864,दिनांक 08.04.2025 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-675/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक-04.09.2025 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर माडलिंग कर 100 वर्ष की आवृत्ति के बाढ़ के अनुसार सुऑव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-4332022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 13.02.2025 को सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(प्रस्तर-6) दिये गये है : -

"We are of the view that Survey of India should submit final report to Irrigation Department expeditiously without any further delay and the Department of Irrigation should accomplish all the tasks of FPZ and issue Notification in this regard well before next date of hearing."

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में प्रथम चरण में सुऑव नदी बेसिन के वर्ष 2009-2023 के उपलब्ध मैप के अनुसार आप्लावन क्षेत्र (Inundation Satellite Imageries) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022 में राप्ती नदी के अधिकतम बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किया गया था, जिसे सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के पत्र संख्या-151 /2025- 439/2025-27-सिं० -4- FCN-1832864 दिनांक- 08.04.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि "राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडों के आधार पर माडलिंग कर 100 वर्ष की आवृत्ति के बाढ़ के अनुसार फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है, जो सितम्बर-2025 तक सम्भावित है। कालान्तर में 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण हो जाने के उपरान्त उक्त अधिसूचना स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा पुनः 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति के आधार पर फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की जायेगी।"

3. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी द्वारा सर्वे ऑफ इडिया एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर मॉडलिंग कर 100 वर्ष की आवृत्ति के बाढ़ के अनुसार सुऑव नदी का फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के क्रम में सुऑव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलव्ध कराया गया है।

4. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-675/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक-04.09.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में 100 वर्ष की आवृत्ति के बाढ़ के आधार पर जनपद बलरामपुर में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर जनपद बलरामपुर में सुऑव नदी का फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में



Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

एन.एम.सी.जी, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होगे।

6. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**संलग्नक-यथोक्त ।**

भवदीय,
Digitally signed by
ARAVIND KUMAR CHAURASIA
Date: 07-09-2025 14:45:33

(डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ०प्र०।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ०प्र०।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ०प्र०।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ०प्र०
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।



Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग ।
20. मुख्य अभियंता (सरयू-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोण्डा।
21. गार्ड फाईल ।

संलग्नक-यथोक्त ।

आज्ञा से,
(रमाकान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव ।

Digitally signed by
RAMA KANT VERMA
Date: 07-09-2025
15:47:23



File No. 27-4003(099)/6/2024-सिंचाई एव जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department (Computer No. 1832864)
Generated from eOffice by सूर्य नाथ उपाध्याय, SO-4(SNU)-I&WRD, अनुभाग अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 07/09/2025 04:19 PM

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

23/11/2025
(अफजल इमाम फारूक)
शपथ– आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–4
उ0प्र0 शासन।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938
No. 2458] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3187(अ).—गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और जल का सतत पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों का गठन करना जरूरी है, जिससे गंगा नदी का पुनरुद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति में लाया जा सके।

जहां, गंगा नदी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की है जो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देता है;

और जहां, गंगा नदी तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण सीवेज, औद्योगिक बहिस्राव एवं अन्य प्रदूषकों के बढ़ने के कारण गंभीर स्थिति में है;

और जहां, प्रतिस्पर्धी मांग को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना विकास में वृद्धि के कारण सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग एवं जल विद्युत के लिए गंगा नदी के जल की मांग बढ़ रही है;

और जहां, अविलंब निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है----------

(ए) व्यापक आयोजना एवं प्रबंधन के लिए इस अंतर्राज्यीय एवं अंतर्क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण में प्रभावी कमी तथा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(बी) नदी की पूरी लंबाई के क्षेत्र में सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना जिससे इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को पुनः स्थापित किया जा सके और यह स्वयं अपना पुनरूद्धार करने में सक्षम हो सके;



Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(सी) गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना जहां उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रियांए अथवा उद्योगों का वर्ग, प्रचालन अथवा प्रक्रियांए नहीं की जाएंगी अथवा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ की जाएंगी;

(डी) किसी भवन, संयंत्र, उपकरणों, मशीनों, निर्माण अथवा अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री अथवा पदार्थों के निरीक्षण का प्रावधान करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों तथा व्यक्तियों को गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देना जैसा कि यह आवश्यक समझे।

(ई) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से संबंधित अन्वेषण एवं अनुसंधान करना एवं प्रायोजित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली संभावित निर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री तथा पदार्थों की जांच करना;

(एफ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के संबंध में मैनुअल, कोड अथवा गाइड तैयार करना;

और जहां, गंगा के पुनरुद्धार के लिए समान रूप से उत्तरदायी होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर नदी संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय एवं कार्यान्वियन करना होगा और उनके राज्य में गंगा नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए कदम उठाने होंगे;

और जहां, गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने और संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए इस आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय की आवश्यकता होगी।

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4, 5, 9,10, 11,19, 20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2539(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) और 8 फरवरी 2010 की का.आ. 287(अ) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण में 29 सितंबर 2014 की का.आ. संख्या 2539(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा-

(i) ऐसी शक्तियों तथा कार्यों को करने के उद्देश्य से इस आदेश में उल्लिखित नामों से प्राधिकरण गठित करती है (उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति के साथ और इस आदेश में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में उपाय करने के लिए) ;

(ii) केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और इस आदेश के प्रावधानों के शर्ताधीन इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों को निर्देश देती है कि वे इस आदेश में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन अथवा उपाय करेंगे जैसे कि इन प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करने, इन कार्यों का निष्पादन करने अथवा ऐसे उपाय करने का अधिकार दिया गया है;

(iii) यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत गंगा नदी और उससे जुड़े मामलों के संबंध में इसकी सभी शक्तियों एवं कार्यों (धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी प्राधिकरण के गठन की शक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 6 और 25 के तहत नियम बनाने को छोड़कर) का प्रयोग इस आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के शर्ताधीन इस आदेश द्वारा गठित प्राधिकरणों और इस आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

**1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ-** (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

**2. आदेश को लागू करने का क्षेत्र-** यह आदेश गंगा नदी में प्रदूषण की प्रभावी कमी तथा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के उद्देश्य से गंगा नदी बेसिन वाले राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड,

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, पर लागू होगा, जैसा कि गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद निर्णय ले।

3. परिभाषाएं, यदि संदर्भ में अन्य रूप में अपेक्षित न हो-

(ए) "अधिनियम" का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) होगा।

(बी) "बेसिन" का अर्थ क्षेत्र में मृदा, जल, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित जल निकाय अथवा जल मार्ग के संपूर्ण आवाह क्षेत्र से है और इसमें आवाह आधार पर भूमि, जल, वनस्पति एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल है।

(सी) "बफर क्षेत्र" का अर्थ उस क्षेत्र से है जो नदी के बाढ़ मैदान से आगे है।

(डी) "आवाह" अथवा "आवाह क्षेत्र" में वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र शामिल है जिसमें वर्षा, हिम अथवा बर्फ का अपवाह जल मार्ग के गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में मिलने अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल छोड़ने से पहले एक जल निकाय अथवा जल मार्ग में गिरता है।

(ई) "व्यावसायिक मछली पालन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में नेट, जहर अथवा अन्य आधुनिक फिशिंग गेयर अथवा पद्धतियों द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन से बड़े पैमाने पर मछली पालन से है।

(एफ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्र सरकार से है।

(जी) "वनकटाव" का अर्थ विशेष रूप से गंगा नदी के आवाह क्षेत्र में वन क्षेत्र में कमी, विशेषतौर पर मानवजनित क्रियाकलापों द्वारा अथवा वन के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नियोजित रूप से इस हटाने को छोड़कर वन में पेड़ों अथवा वनस्पति को हटाने से है।

(एच) "अवक्रमित वन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास आवाह क्षेत्र में मूल वन क्षेत्र अथवा वनस्पति घनत्व में कमी वाले वन से है।

(आई) "निर्देश" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी निर्देश से है और "निर्देश देने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(जे) "जिला गंगा समिति" का आशय, पैराग्राफ 53 में उल्लिखित जिला गंगा सुरक्षा समिति से है।

(के) "इंजीनियर्ड डायवर्जन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल को नहरों अथवा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं में अंतरित करने के लिए बनाई गई अथवा संस्थापित संरचना अथवा यंत्र से है।

(एल) "बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है।

(एम) "घाट" का अर्थ गंगा अथवा इसकी उपनदियों के तट पर ढलान वाले भाग से है जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित सीढ़ियां और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल तक मानव की सरल पहुंच के लिए प्रयुक्त भूमि के ढलान वाले क्षेत्र शामिल है और धार्मिक अथवा अन्य संबंधित प्रयोजन से ऐसे भागों का प्रयोग शामिल है।

(एन) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण अथवा जिला परिषद अथवा अन्य कोई निकाय अथवा प्राधिकरण, जिस भी नाम से जाना जाता हो, जिसे एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं देने हेतु अथवा नागरिक सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए कानून द्वारा मान्यता दी गई हो।

(ओ) "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" का अर्थ पैराग्राफ 31 में उल्लिखित प्राधिकरण है।

(पी) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित करने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(क्यू) "प्रदूषित पदार्थ" में ठोस अपशिष्ट शामिल होगा जिसमें पशुओं के शव, रसोई अथवा अस्तबल का अपशिष्ट, गोबर, कचरा, सड़ी हुई अथवा दुर्गंधयुक्त सामग्री और किसी भी प्रकार की गंदगी शामिल है जो सीवेज में नहीं आती।

Oath Commission Lucknow Civil Secretariat

(आर) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल है-

(i) एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा व्यक्तियों का संघ शामिल किया गया हो अथवा नहीं;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित कंपनी;

(iii) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;

(iv) एक स्थानीय प्राधिकरण;

(V) उपर्युक्त उपखंडों में से किसी में भी न आने वाला प्रत्येक न्यायिक व्यक्ति।

(एस) "नदी तल" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के क्षेत्र के सूखे हिस्से से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियां बहती हैं जब वे जल से भर जाती हैं और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के किनारे स्थित भूमि शामिल है जो जल का सर्वाधिक प्रवाह होने पर अपने प्राकृतिक चैनल में जल को बनाए रखती है।

(टी) "नदी तल खेती" में जल के कम प्रवाह के समय गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के नदी तल पर मौसमी कृषि अथवा खेती से है।

(यू) "गंगा नदी" धारा का अर्थ उत्तराखंड राज्य में 6 प्रमुख धाराओं की संपूर्ण लंबाई अर्थात अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी से है जो अपने मूल ग्लेशियर से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रूद्र प्रयाग और देव प्रयाग में उनके संबंधित संगम तक है और नदी की मुख्य धारा भी इसमें शामिल है और उसके बाद प्रयागराज सहित गंगा सागर तक और इसकी सभी उपनदियां शामिल हैं।

(वी) "कूड़ा करकट" का अर्थ राख, टूटी हुई ईंटों, गारे, टूटे हुए कांच, धूल अथवा किसी प्रकार के अपशिष्ट और गंदगी से है।

(डब्ल्यू) "मिट्टी के खनन" का अर्थ सूखे चैनल बेल्ट, बाढ़ मैदान अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के भाग से नदी में बड़े पैमाने पर मिट्टी को हटाने से है।

(एक्स) "सीवेज अपशिष्ट" का अर्थ किसी सीवरेज प्रणाली अथवा सीवेज निपटान कार्य के बहिस्राव से है और इसमें खुले नालों का सीवेज शामिल है।

(वाई) "सीवरेज स्कीम" का अर्थ ऐसी स्कीम से है जो एक स्थानीय प्राधिकरण भूमिगत बंद सीवर के माध्यम से जल को फ्लश करके सीवेज हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।

(जेड) "अनुसूची" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची है।

(जेडए) "विनिर्दिष्ट जिले" का अर्थ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें इस आदेश में उल्लिखित गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, में गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के 15 किमी. के क्षेत्र में गंगा नदी के आस-पास स्थित प्रत्येक जिले के क्षेत्र से है।

(जेडबी) "राज्य गंगा समिति" का अर्थ पैरा 2 में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए इस आदेश के तहत गठित राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति से है।

(जेडसी) राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अर्थ प्रत्येक राज्य में अधिनियम के तहत पूर्व गठित प्राधिकरण से है अर्थातः-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 8 फरवरी, 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ) द्वारा गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) द्वारा गठित उत्तराखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ) द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ) द्वारा गठित पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(जेडडी) "धारा" में नदी, जल मार्ग (प्रवाहित हो रहे हों अथवा कुछ समय के लिए सूखे हों), अंतर्देशीय जल (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) और उपक्षेत्र जल शामिल है।

(जेडई) "गंगा नदी की उपनदियों" का अर्थ उन नदियों अथवा धाराओं से है जो गंगा नदी में प्रवाहित होती हैं और इनमें यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और महाकाली नदी तथा उनकी उपनदियां अथवा ऐसी अन्य नदियां जिन्हें राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन परिषद इस आदेश के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट करे, शामिल हैं।

2. इस आदेश में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं पदों का अर्थ यदि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित किया गया है तो उनका अर्थ वही समझा जाएगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

4. गंगा नदी की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु अपनाए जाने वाले सिद्धांत- (1) गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उपाय करने हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे अर्थातः-

(i) गंगा नदी को एक एकल प्रणाली के रूप में प्रबंधित किया जाएगा;

(ii) गंगा नदी के जल की रासायनिक, भौतिक एवं जीव विज्ञानीय गुणवत्ता को पुनःस्थापित करने एवं इस बनाए रखने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाएगा;

(iii) गंगा नदी को पारिस्थितिकीय ढंग से सतत पद्धति में प्रबंधित किया जाएगा;

(iv) गंगा नदी में प्राकृतिक मौसमी विविधता में परिवर्तन किए बिना नदी में प्रवाह बनाए रखा जाएगा;

(v) गंगा नदी के देशान्तरीय, लेटरल तथा ऊर्ध्वाधर आयाम (कनेक्टिविटी) नदी प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में शामिल किए जाएंगे;

(vi) सतही प्रवाह तथा उपसतही जल (भूजल) के बीच समग्र संबंध को पुनःस्थापित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(vii) आवाह क्षेत्र में खोई प्राकृतिक वनस्पति को पुनः सृजित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(viii) गंगा नदी बेसिन में जलीय एवं तटीय जैव-विविधता को पुनः सृजित एवं संरक्षित किया जाएगा;

(ix) प्रदूषण के स्रोत, दवाव को कम करने और इसके प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए गंगा नदी के तट और इसके बाढ़ मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाया जाएगा;

(x) संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन में जनता की भागीदारी, किसी विनियम, मानक में संशोधन करना एवं लागू करने, संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए बहिस्राव न्यूनीकरण योजना अथवा कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए और गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देश के लोगों की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में उन्नयन तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय संयुक्त संस्तुति की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए उपपैरा (1) के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अतिरिक्त सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकता है।

5. गंगा नदी में जल का पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखा जाए- (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पैरा के उप पैरा (iv) में दिए गए अनुसार गंगा नदी में हर समय जल का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जाए।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(2) प्रत्येक राज्य सरकार भी गंगा नदी में इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मौसम में जल का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने के प्रयास करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई करेंगे।

(3) इस पैरा के प्रयोजन से जल के औसत प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी पर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर विनिर्दिष्ट जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी पर विभिन्न बिन्दुओं के लिए नदी में जल का औसत प्रवाह निर्धारित किया जाए।

6. गंगा नदी और उसकी उप नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाना

(1) कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा;

बशर्ते कि जहां किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को सीवेज अथवा कीचड़ के एकत्रण, भंडारण, ले जाने और निपटान के लिए सीवरेज स्कीम अथवा अवसंरचना नहीं है अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख तक ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हों, ऐसा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में सीवेज के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए ऐसी अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इनके तटों पर अशोधित अथवा शोधित व्यावसायिक बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ेगा;

बशर्ते यह भी कि जहां किसी उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को औद्योगिक बहिस्राव शोधन स्कीम अथवा अवसंरचना न हो अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख को ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हो, ऐसा प्रत्येक उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में व्यावसायिक बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(3) कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या इसकी उपनदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्र में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

बशर्ते कि, अपवाद की स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा पारंपरिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के लिए राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएं बनायी जा सकती हैं;

बशर्ते यह भी कि इस आदेश के लागू होने से पहले गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के तट अथवा सक्रिय बाढ़ मैदान में यदि कोई ऐसी संरचना बनाई गई है तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऐसी संरचनाओं की समीक्षा करेगा ताकि यह जांच की जा सके कि ऐसी संरचनाएं गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल के सतत प्रवाह को बाधित नहीं कर रही अथवा नदी में प्रदूषण नहीं फैला रही और यदि ऐसा है तो यह उन्हें हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा। जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

(5) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति, स्थानीय प्राधिकरण और सभी अन्य प्राधिकरण तथा व्यक्ति गंगा नदी और इसकी उपनदियों के आस-पास के प्रत्येक गांव/नगर, शहर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिपोर्टों में दी गई सूचना तथा उपर्युक्त उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार करेंगे तथा जनता के ध्यान में लाएंगे।

7. गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के मामले में आपातकालीन उपाय- किसी दुर्घटना अथवा अनदेखे कार्य अथवा घटना के कारण गंगा नदी में कोई भी विषैला हानिकारक अथवा प्रदूषक कारक पाया जाता है अथवा प्रवेश किया है, और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी होगी अथवा

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम द्वारा ऐसे कार्यों को करने हेतु निर्देश दिया जाएगा, चूंकि इसे निम्नलिखित सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाए। अर्थात्

(क) प्रदूषक की उपस्थिति के कारण किसी प्रदूषण के उपशमन अथवा निपटान के लिए इस ढंग से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, गंगा नदी से प्रदूषक सामग्री को हटाने की पद्धति और निपटाना के साथ साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए यथा उपयुक्त समझा जाता है।

(ख) गंगा नदी में किसी भी विषैले, हानिकारक अथवा प्रदूषक सामग्री को छोड़ने से किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा संबंधित अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम को नियंत्रित करने अथवा निषेध करने संबंधी निर्देश जारी करना।

(ग) इस प्रकार की आपातकालीन समस्या के समाधान के लिए कोई अतिरिक्त कार्य अथवा कार्य पद्धति शुरू करना जैसा भी आवश्यक हो।

8. निर्देश जारी करने की शक्ति- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस आदेश के तहत अपनी शक्तियों और निष्पादन अथवा अपने कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है, जिसे प्रदूषण का निवारण और गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक समझा जाए। संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति को लिखित में अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश जारी करना और वे ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

व्याख्या- संदेह के निवारण के लिए एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल की जाती है लेकिन निर्देश देने की शक्ति को सीमित नहीं किया जाता है-

(क) किसी उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रिया को बंद करना, निषेध अथवा विनियमन; अथवा

(ख) विद्युत अथवा जल की आपूर्ति अथवा अन्य किसी सेवा को रोकना अथवा विनियमन

(ग) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम अथवा बनाए गए नियम अथवा इसके तहत जारी निर्देशों के विरोधी किसी कार्य को रोकना अथवा बंद करना।

(घ) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम में विनिनिर्देष्ट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन

9. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा- प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति वार्षिक समय ढांचा के भीतर और ऐसे जिला के लिए गंगा नदी के क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी और विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस संबंध में शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित इस सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, यदि आवश्यक हो।

10. गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी किया जाना- (1) गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वयं अथवा उपग्रह के चित्रों तथा अन्य दूरसंवेदी प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा विभिन्न राज्य और केन्द्र सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आवधिक आधार पर वास्तविक केन्द्रों, ऑनलाइन निगरानी और स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से निर्देशों द्वारा की जाएगी।

(2) उप-पैराग्राफ के प्रावधानों के बावजूद (1) केन्द्र सरकार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में ऊपर उल्लिखित प्रदूषण की निगरानी के लिए किसी अन्य तकनीक अथवा पद्धति, जिसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जा सके, को अपनाकर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी के कार्य को किसी अन्य अभिकरण अथवा निकाय अथवा सीधे, प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के उद्देश्य से, सौंप सकती है।

11. गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन - इस आदेश को लागू करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा, प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद के नाम से (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

12. राष्ट्रीय गंगा परिषद की संरचना- राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:-

| | |
|---|---|
| (क) प्रधानमंत्री | अध्यक्ष, पदेन |
| (ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री | उपाध्यक्ष, पदेन |
| (ग) केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (ङ) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (च) केन्द्रीय विद्युत मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (छ) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (ज) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (झ) केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (ञ) केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (ट) केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री | सदस्य, पदेन |
| (ठ) उपाध्यक्ष, नीति आयोग | सदस्य, पदेन |
| (ड) मुख्यमंत्री, बिहार | सदस्य, पदेन |
| (ढ) मुख्यमंत्री, झारखंड | सदस्य, पदेन |
| (ण) मुख्यमंत्री, उत्तराखंड | सदस्य, पदेन |
| (त) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | सदस्य, पदेन |
| (थ) मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल | सदस्य, पदेन |
| (द) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय- | सदस्य, पदेन |
| (ध) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य-सचिव, पदेन |

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले ऐसे राज्य के एक अथवा एक से अधिक मुख्यमंत्रियों को शामिल कर सकती है जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है, जिससे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है।

(3) राष्ट्रीय गंगा परिषद यदि आवश्यक समझे तो एक अथवा अधिक केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर सकती है।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद नदी संरक्षण, नदी पारिस्थितिकी और नदी प्रबंधन, जल विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ संगठनों अथवा संस्थानों के साथ परामर्श कर सकती है।

(5) राष्ट्रीय गंगा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा निर्धारित किया जाए।

(6) राष्ट्रीय गंगा परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में होगा।

(7) केन्द्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

13. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का विघटन- (1) पैराग्राफ 11 में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन की तिथि को और से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 2539(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को विघटित माना जाएगा।

Oath Commissioner A.I. Lucknow Civil Secretariate

(2) विघटन से पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा किए गए अथवा छोड़े गए सभी कार्य अथवा शुरू की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई अथवा खर्च किए जाने हेतु प्राधिकृत किसी राशि को इस आदेश के समान प्रावधानों के तहत किया हुआ अथवा शुरू किया जाना माना जाएगा।

**14. गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपना-** गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन, विकास और नियंत्रण तथा गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए संपूर्ण नदी बेसिन (वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों सहित) तथा इसकी प्राकृतिक और मूल स्थिति का संरक्षण नदी में जल के पर्याप्त बहाव की निरंतरता और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद, इस आदेश में शामिल किसी भी चीज के बावजूद, संपूर्ण रूप से जिम्मेवार मानी जाएगी।

**15. राष्ट्रीय गंगा परिषद का क्षेत्राधिकार-** गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का क्षेत्राधिकार पैराग्राफ 2 में दिए गए क्षेत्र तक होगा।

**16. गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक-**

(1) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपनी बैठकों सहित अपने कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और इसके कार्यव्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

(3) उपाध्यक्ष के पास अगली बैठक में संपुष्टि के शर्ताधीन परिषद की दो बैठकों के आयोजन के बीच में परिषद के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद के लिए आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति होगी।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपने विवेक से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अथवा अधिक बैठकें आयोजित कर सकती है।

**17. प्राधिकरण के रूप में गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन-** (1) इस आदेश को जारी करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

| 2 गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल में निम्नलिखित शामिल हैं, नामतः- | |
|---|---|
| (क) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री | अध्यक्ष, पदेन |
| (ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष, पदेन |
| (ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण | सदस्य, पदेन |
| (घ) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) | सदस्य, पदेन |
| (ङ) सीईओ, नीति आयोग | सदस्य, पदेन |
| (च) मुख्य सचिव, उत्तराखंड राज्य | सदस्य, पदेन |
| (छ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य | सदस्य, पदेन |
| (ज) मुख्य सचिव, बिहार राज्य | सदस्य, पदेन |
| (झ) मुख्य सचिव, झारखंड राज्य | सदस्य, पदेन |
| (ञ) मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य | सदस्य, पदेन |
| (ट) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य, सचिव |

(3) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों अथवा संबंधित अन्य किसी राज्य के मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है, यदि आवश्यक समझा जाए।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(4) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल अपने विवेकानुसार कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक अथवा इससे अधिक बैठकें आयोजित करेगा।

(5) केन्द्र सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में गंगा संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी और यह मंत्रालय ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य हेतु नोडल मंत्रालय होगा।

(18) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियां-

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में समन्वय करेगा और सलाह देगा।

(2) खासकर और उप-पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के पूर्वाहग्रह के बिना गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियों में गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपायों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात्-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों के पास-

(i) गंगा नदी के संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खास गतिविधियों, उद्देश्यों और समयबद्धता सहित एक कार्य योजना है

(ii) इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक तंत्र है

(ख) समयबद्ध आधार पर इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।

(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी, बाधाओं को को दूर करना, शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव और निर्णय लेना।

(घ) घरेलू और विदेशी सहायता के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं सहित नमामि गंगे

(ङ) गंगा नदी के संरक्षण और संरक्षा तथा प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक समझे गए ऐसे अन्य कार्यों को करना अथवा यथा आवश्यक समझी गई शक्तियों का प्रयोग करना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया हो अथवा राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को करना।

19. एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन हेतु जिम्मेवार होगा, समय-समय पर यथा संशोधित।

(2). गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल उप-पैराग्राफ (1) के उद्देश्य हेतु इनके सदस्यों के बीच एक अधिकारियों की उप-समिति गठन कर सकता है।

**20. विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण संरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का प्राधिकरणों के रूप में गठन तथा इनका संघठन-** इस आदेश के लागू होने की तारीख से पैरा 2 में दिए गए अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य गंगा संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन समिति नामक एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जिसमें इस आदेश तथा अधिनियम विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

**21. राज्य गंगा समिति की बैठकें–** (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी बैठकों सहित अपने कार्यों को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) प्रत्येक राज्य गंगा समिति 3 महीने की अवधि में कम से कम अपनी एक बैठक करेगी।

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

(3) विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उल्लिखित समिति अपना उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसके कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

22. समिति का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण- गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में संरक्षण, संरक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के उद्देश्य से इस आदेश में किए गए किसीभी प्रावधान के बावजूद जिला गंगा समितियों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य गंगा समिति के पास होगा जिससे गंगा नदी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति का संरक्षण किया जा सके और संबंधित राज्यों में गंगा नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए गंगानदी में जल का सतत एवं पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

23. राज्य समिति के निर्णय बाध्यकारी होंगे--- विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय इस आदेश में निहित किसी भी मामले के बावजूद प्रत्येक जिला गंगा समिति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा ऐसे निर्णय में संदर्भित व्यक्ति पर लागू होंगे और वे राज्य गंगा समिति के निर्णयों का अनुपालन करेंगे।

24. राज्य गंगा समितियों के अधिकार, कर्तव्य और कार्य- (1) प्रत्येक राज्य गंगा समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत जारी निर्देशों तथा इस आदेश के प्रावधानों में निर्धारित नियमों के शर्ताधीन पैरा 6, 7 और 8 में उल्लिखित उपायों सहित ऐसे सभी उपायों जो वह गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण निवारण और नदी के संरक्षण हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, को करने का अधिकार होगा।

(2) राज्य गंगा समिति राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी।

(3) विशेषकर और उप-पैरा (1) और (2) के प्रावधानों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना इन उपायों में निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से कोई मामला शामिल किया जा सकता है अर्थात्:-

(क) सीवरेज अवसंरचना के संवर्धन, आवाह क्षेत्र सुधार, बाढ़ मैदानों की सुरक्षा, जन जागरूकता फैलाने तथा राज्य स्तरीय अन्य उपायों और गंगा नदी में उसकी जल गुणवत्ता बरकरार करने के लिए उसमें प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कम करने सहित गंगा नदी के संरक्षण संबंधी कार्यों का समन्वय और कार्यान्वयन, तथा नदी इकोलॉजी और संबंधित राज्य में प्रबंधन संबंधी अन्य उपाय करना;

(ख) संबंधित राज्य में नदी बेसिन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(ग) संबंधित राज्य में गंगा नदी में न्यूनतम इकोलॉजी प्रवाह को बरकरार रखना और तत्संबंधी कार्य।

(घ) इस आदेश के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रवेश एवं निरीक्षण तथा धारा 11 के अंतर्गत नमूना लेने का अधिकार;

(4) राज्य गंगा समिति को पैरा 7 में रेखांकित मुद्दों पर निर्देश देने का अधिकार होगा।

(5) राज्य गंगा समिति को पैरा समिति को अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश देने का अधिकार होगा।

(6) राज्य गंगा समिति के अधिकार और कार्य अधिनियम, के प्रावधानों के अनुरूप न होते पर, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सौंपे गए किसी अधिकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे।

25. जिला गंगा समितियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी- प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों तथा अन्य प्राधिकारियों की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करेगी और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

26. सभी जिला गंगा समितियों की समेकित रिपोर्टें तैयार करना और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय करना--- (i) प्रत्येक राज्य गंगा समिति सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणें अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक तिमाही की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सीमा में आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले का उल्लेख होगा।

(क) उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के विषय में कोई अन्य कार्य;

(ख) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता तथा तत्संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई;

(ग) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी में प्रवाह में कोई अवरोध तथा तत्संबंधी कारण;

(घ) जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों को की गई शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपाय;

(ङ) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा सुरक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई कोई प्रतिकूल रिपोर्ट;

(च) गंगा नदी उसकी सहायक नदियों की दशा के संबंध में कोई अन्य सूचना।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित रिपोर्ट तत्संबंधी सुधारात्मक उपायों सहित वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी जाएगी।

27. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा का आयोजन और राज्य समितियों द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना--- (1) राज्य गंगा समितियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला गंगा सुरक्षा समितियों द्वारा गंगा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तत्संबंधी की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्तुत करें तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध भी कराएं और अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाएं।

(2) गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा में ये विवरण शामिल किए जाएंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतरालों (इस आदेश में उल्लिखित अन्यथा सुरक्षित) पर यथा निर्धारित ढंग से लेखा परीक्षा की जाएगी।

28. राज्य गंगा समिति का नोडल अभिकरण होना--- राज्य गंगा समिति, राज्य में इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के प्रभावी निवारण तथा नदी का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य व्यापी नोडल अभिकरण होगी।

29. राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश राज्य गंगा समिति पर बाध्यकारी होंगे---- प्रत्येक राज्य गंगा समिति इस आदेश के प्रावधानों को अनदेखा करने के पूर्वाग्रह के बिना इस आदेश के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन करते समय वह ऐसे निर्णयों अथवा निर्देशों (तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित होने वाले निर्देशों सहित) जो राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन समय-समय पर गंगा नदी में प्रदूषण निवारण तथा उसके संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उसे लिखित में दिए जाएं, का पालन करेगी।

30. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों और राज्य कार्यकारी समितियों का विघटन— (1) राज्य गंगा समितियों के गठन की तारीख से, इस आदेश के लागू होने से पहले गठित संबंधित गठित संबंधित राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों के साथ-साथ राज्य कार्यकारी समितियों को विघटित हो गया माना जाएगा।

(2) ऐसे विघटन से पहले, उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत प्राधिकरणों और समितियों द्वारा किए गए अथवा हटा दिए जाने वाले सभी कार्यों अथवा की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई राशि अथवा खर्च के लिए प्राधिकृत राशि को निष्पादन कर लिया माना जाएगा अथवा इस आदेश के संगत प्रापधानों के तहत ले लिया गया माना जाएगा।

31. एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन- (1) इस आदेश के लागू होने के तारीखसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम के उद्देश्य से और इस आदेश तथा अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन के करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इसी नाम से गठित एक प्राधिकरण होगा।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन पैरा 35 में दिए गए अनुसार होगा।

32. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र पैराग्राफ 2 में रूपरेखा दिया गया क्षेत्र होगा।

33. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नोडल एजेंसी होगा --- इस आदेश के प्रावधानों के राष्ट्र व्यापी कार्यान्वयन तथा प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकी उप-नदियों के पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक नोडल एजेंसी होगा।

34. एक अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दो स्तरीय प्रबंधन के साथ एक अधिकार प्राप्त संगठन होगा जिसके पास इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रशासनिक, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की शक्तियां होंगी और कर्तव्य कार्य तथा शक्तियां होगी।

35. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन:- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन टू-टीयर निगरानी संरचना होगी और इसमें गर्वनिंग परिषद और कार्यकारी समितियां शामिल होंगी

(1) गवर्निंग परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत:

| | | |
|---|---|---|
| (क) | राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महा निदेशक | अध्यक्ष पदेन |
| (ख) | संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य पदेन |
| (ग) | संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | सदस्य पदेन |
| (घ) | संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | सदस्य पदेन |
| (ङ) | संयुक्त सचिव, व्यय विभाग | सदस्य पदेन |
| (च) | नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम कम न हो) | सदस्य पदेन |
| (छ) | अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य पदेन |
| (ज) | प्रधान सचिव, शहरी विकास, बिहार सरकार | सदस्य पदेन |
| (झ) | प्रधान सचिव, शहरी विकास, झारखंड सरकार | सदस्य पदेन |
| (ञ) | प्रधान सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य पदेन |
| (ट) | प्रधान सचिव, पेयजल, उत्तराखंड सरकार | सदस्य पदेन |
| (ठ) | प्रधान सचिव, शहरी विकास, पश्चिम बंगाल सरकार | सदस्य पदेन |
| (ड) | ऐक्जीक्यूटिव ऑफिसर (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य पदेन |
| (ढ) | ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य पदेन |
| (ण) | ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य पदेन |
| (त) | ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य पदेन |
| (थ) | ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रशासन), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | सदस्य-सचिव |

(2) गवर्निंग परिषद में से गठित की गई कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत:-

(क) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-अध्यक्ष पदेन

(ख) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग-सदस्य पदेन

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(ग) नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर का) -सदस्य पदेन

(घ) संबंधित राज्य (राज्यों) के प्रधान सचिव-सदस्य पदेन

(ङ) ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - सदस्य पदेन

(च) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त) -सदस्य पदेन

(छ) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी) -सदस्य पदेन

(ज) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजनाएं) -सदस्य पदेन

(3) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यदि आवश्यक समझते हैं तो कार्यकारी समिति, गर्वनिंग परिषद के अन्य कोई सदस्य के साथ काम कर सकते है।

(4) गर्वनिंग परिषद अपने सदस्यों में से एक उप-समिति का गठन कर सकती है और परियोजना के मूल्यांकन हेतु कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी कार्य कर सकते हैं।

(5) संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि उप-समिति के सदस्य होंगे।

(6) गवर्निंग काउंसिल के पास आधे सदस्यों का कोरम होना चाहिए।

36. (1) 1000 करोड़ रूपये तक के सभी अनुमोदन ईसी में निहित होंगे। इसके बदले में ईसी तीन महीने में कम से कम एक बार जीसी को रिपोर्ट करेंगे।

(2) तकनीकी विशेषज्ञों/या मान्यता प्राप्त संस्थाना या भारतीय तकनीकी संस्थानों के कंसॉर्टियम द्वारा परियोजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात जीसी की उप समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी।

(3) तृतीय पक्ष, तकनीकी मूल्यांकन उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए सभी परियोजनाओं के लिए होगा।

37. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

(1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव अथवा सचिव के समकक्ष होगा। नियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) कार्यकारी निदेशक, वित्त की नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों में से की जाएगी जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष होगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में प्रशासन और परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यकारी निदेशक का कम से कम एक पद होगा जिसका ओहदा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष।

(4) कार्यकारी निदेशको में से एक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उप महानिदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(5) कार्यकारी समिति को कोई भी मनोनीत सदस्य का स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम नहीं होगा।

38. (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कर्तव्य : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(i) इस आदेश के पैराग्राफ 5 में दिए गए सिद्धांतों और उसमें दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करना,

(ii) राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों और निदेशों का अनुपालन करना और इसके द्वारा अनुमोदित गंगा बेसिन प्रबंधन योजना का राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्देशानुसार कार्यान्वयन करना,

(iii) समयबद्ध तरीके से नदी गंगा परिषद के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए सभी कार्यकलापों को समन्वित करना।

(iv) सभी अन्य कार्य करना अथवा कुछ कार्यों को नहीं करना जो गंगा नदी और इसकी उप नदियों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

39. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य.......... (1) इस आदेश के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित की पहचान करेगी अथवा पहचान का कारण बनेगी।

(क) सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट, शवों को जलाने और गाड़ने तथा पशुओं के अवशेषों के निपटान और वाणिज्यिक, मनोरंजन और धार्मिक कार्यकलापों से खतरे सहित गंगा और उसकी उप नदियों के पास जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी के लिए विशिष्ट खतरे।

(ख) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे सभी जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में प्रत्येक गांव में ऐसे खतरों का सामना करने के लिए अपेक्षित उपायों के प्रकार।

(ग) वे विशिष्ट क्षेत्र जहां गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए ऐसे उपचारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(घ) वे उपाय, जो शोधित जल के पुन: उपयोग के लिए आवश्यक होंगे तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों जैसे रेलवे, पॉवर और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि राज्य सरकारों, केन्द्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और सभी अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सही समझे।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे विनिर्दिष्ट जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए अन्य वस्तुओं में लागत, समयबद्धता और उत्तरदायित्वों के आवंटन के साथ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना बनाएगा अथवा बनाने का कारण, बनेगा और इसके लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण रूप से स्थायी संरक्षण, गंगा नदी और उसकी उप-नदियों का संरक्षण और प्रबंधन और इसे अधिसूचित करना तथा पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपायों को लेने अथवा निर्देशित करने के लिए सभी समयों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बिंदुओं पर रखे जाने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी उप-नदियों में पारिस्थितिकीय प्रवाह और परिणाम के निर्धारण का कारण बनेगा।

(ख) ऐसे स्थानों को पहचानने का कारण बनना; जहां गंगा नदी के जल के पर्यावरणीय प्रवाह को आशोधित किया गया है तथा इसके सुधार के लिए उपाय करना ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए जल के सतत प्रवाह को बनाए रखा जा सके।

(ग) जल के इंजीनियर्ड डाइवर्जन अथवा जल के भंडारण अथवा किसी अन्य साधन के कारण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के अंतराल के स्थान पहचानना और इनके संबंध में योजनाएं लागू करना अथवा इसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना।

(घ) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के प्रवाह और प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करना।

(ङ.) ऐसे सभी उपाय करना, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक हों ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाये रखा जा सके।

(च) राज्य सरकारों, विशिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा किसी व्यक्ति अथवा निकाय, किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निगम को प्रदूषण के उपशमन और संरक्षण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान करना अथवा सहायता का कारण बनना।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

(छ) प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के संबंध में ज्ञान आधार तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों के शोध, विकास और प्रसार के लिए एक या अधिक मौजूदा केंद्रों की स्थापना करना या स्थापना को सुकर बनाना अथवा नामोद्दिष्ट और निर्देशित करना ।

(ज) कोई अन्य उपाय करना, जो जल के सतत प्रवाह और गंगा और इसकी उप-नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए आवश्यक हो ।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पैराग्राफ 7 में बताए गए सभी ऐसे अन्य आपात उपाय करेगा ।

40. **गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के किनारे किसी उपयुक्त स्थान पर गंगा नदी मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना------** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी बेसिन से स्थानों को पहचानेगा अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापना करेगा अथवा किसी मौजूदा प्रयोगशाला अथवा केन्द्र अथवा संस्थान को केन्द्र के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा जिसे 'रिवर गंगा मॉनीटरिंग सेंटर' कहा जाएगा, जो अन्य बातों में इस आदेश के अंतर्गत यथापेक्षित जल के लगातार प्रवाह और प्रदूषण के स्तर को मॉनीटर करेंगे और वहां उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तुरंत रिपोर्ट करेंगे ।

41. **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां--------** (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद के पर्यवेक्षण और निदेश के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के कार्य को सुकर बनाने की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियों से युक्त राष्ट्रीय एजेंसी होने के कारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगा अथवा स्वयं ही राज्य गंगा समितियों अथवा जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति संस्था, समूह अथवा एजेंसी को अपने निर्णयानुसार निदेश जारी करेगा तथा इसके पास ऐसे सभी उपाय करने और कार्य करने की शक्तियां होंगी, जो यह गंगा नदी तथा इसकी उप-नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक अथवा उचित समझे, जिनसे गंगा नदी को इसकी प्राकृतिक तथा पुरातन स्थिति तक संरक्षित किया जा सके तथा गंगा नदी तथा इससे संबंधित मामलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गंगा नदी में जल के सतत तथा पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके ।

2. विशेष रूप से तथा उप-पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की सामान्यतया के पूर्वाग्रह के बिना तथा इस आदेश में यथा अन्यथा उपबंधित ऐसे निदेश गंगा नदी के प्रबंधन के सभी अथवा किसी मामले को शामिल कर सकती है, नामत:-

(क) पैराग्राफ 4 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार में इस आदेश के पैराग्राफ 55 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करना;

(ख) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना ।

(ग) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण, संरक्षा, प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए गंगा बेसिन प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी देश अथवा विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन करना ।

(घ) आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना नदी गंगा बेसिन प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना और सीधे संशोधन, यदि कोई हो, उस पर करना;

(ड.) प्रगति रिपोर्ट का पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना और राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को बुनियादी प्रबंधन योजना और गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के मामलों से संबंधित किसी अन्य मामले पर निर्देश जारी करना ।

(च) सीवरेज के बढ़ने और बहिस्राव शोधन अवसंरचना, आवाह क्षेत्र उपचार, बाढ़ मैदानों के संरक्षण, जन-जागरूकता सृजन करना, जलीय और राइपेरियन जीवन और जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी नदी संरक्षण के संवर्धन के लिए ऐसे अन्य उपायों सहित गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन अनुमोदित करना ।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

(छ) प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन का समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा करना।

(ज) नदी की पारिस्थितिकी को पुन: बहाल करने और नदी गंगा बेसिन राज्यों के प्रबंधन से संगत उपायों को करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्देश देना।

(झ) स्पेशल पर्पज वेहिकल के सृजन के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करना (चाहे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन एक न्यास के रूप में) जैसाकि इस आदेश अथवा उक्त आदेश के प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हो।

(ञ) प्रदूषण के प्रभावी निषेध, नियंत्रण और उपशमन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण और संरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे उपाय करना, जिसे आवश्यक समझा जाए।

(ट) परियोजनाओं के उपयुक्त तथा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए किसी संगत व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना अथवा ऐसी परियोजनाओं को निरस्त करना अथवा निधियों के जारी रखने को रोकना अथवा पहले से जारी की गई धनराशि को सीधे रिफंड करना और किसी अन्य व्यक्ति अथवा बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन को इसे शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सौंपना।

(ठ) पहले से जारी किसी भी कानून के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लेखों या अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव से किसी संबंधित या प्राधिकरण को निर्देश देना जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ड) ऐसे अन्य उपाय करना जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के बचाव, नियंत्रण और उपशमन की उपलब्धि, संरक्षण और निवारण और प्रबंधन के लिए आवश्यक है;

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मुद्दों पर निर्देशों को जारी करने की शक्ति होगी जोकि अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित किए गए हैं।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करे।

**(42) कतिपय मामलों में पूर्व अनुमोदन देना----** प्रत्येक व्यक्ति राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां और स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी गंगा नदी से संबंधित तथा गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के दायरे में आने वाले क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर, यदि राष्ट्रीय गंगा नदी के निर्णयों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नामत:-

(क) गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम जल के प्रवाह को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल के भण्डारण के डाइवर्जन की प्रणाली;

(ख) गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों का निर्माण;

(ग) घाटों का निर्माण अथवा किसी भी मौजूदा घाट का विस्तार;

(घ) घाटों का निर्माण;

(ङ.) जल के संग्रह अथवा डाइवर्जन या नियंत्रण के लिए स्थायी जलीय संरचनाओं का निर्माण अथवा गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों का चैनलीकरण;

(च) पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन तथा अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों का वन कटाव;

(छ) कोई अन्य कार्यकलाप जो कि पैराग्राफ 4 में सिद्धांतों के विपरीत निर्धारित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

43. वित्तीय ढांचा ---- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा बजटीय आवंटन अपने कार्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने से संबंधित व्यय तथा स्थापना व्यय को वहन करने हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि अनुदान, ऋण और उधार के रूप में प्राप्त धन उन्हीं में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए वहन किया जाएगा जिनके लिए यह अनुदान, ऋण और उधार प्राप्त हुआ है।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेखों तथा अन्य संबद्ध रिकार्डों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव रखेगा और वार्षिक व्यय विवरण तैयार करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और वार्षिक लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात लेखा परीक्षा एजेंसी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजेगी।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में हैं और सतर्कता संबंधी मामलों की देख रेख के लिए एक सतर्कता अधिकारी होगा।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक व्यय विवरण प्रति वर्ष अधिकार प्राप्त कार्यबल को भेजा जायेगा और केन्द्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी।

44. कानून विशेषज्ञों को कार्य पर लगाना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास एक उपयुक्त विधायी व्यवस्था होगी जिसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कानूनी विशेषज्ञ परामर्शदाता और विधायी फर्म की सेवाएं लेगी जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को विधायी मामलों पर सलाह देने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

45. रिपोर्टों की समीक्षा इसके कार्यकलापों से संबंधित सभी रिपोर्टें तथा राज्य गंगा समिति, जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्टों की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा समीक्षा की जायेगी और इन रिपोर्टों में बताए गए मामलों पर अपने विचारों के साथ यह रिपोर्ट राष्ट्रीय गंगा परिषद के सम्मुख दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत की जायेगी, यदि ऐसा आवश्यक है।

46. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का समेकन ------ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी की गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राष्ट्रीय गंगा परिषद को उन पर उपचारात्मक कार्रवाई के साथ प्रस्तुत करेगा तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा और इसे वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

47. सूचना, निरीक्षण आयोजित करने , रिपोर्टें प्रकाशित करने इत्यादि के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां -------- (1) जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे आवश्यक समझें उसे वह लिखित में आदेश देकर यह कह सकता है-----

(ए) किसी भी राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या व्यक्ति जिसे भी किसी भी परियोजना के कार्यनिष्पादन या ऐसी परियोजना से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है या किसी भी समय निधियों के उपयोग के बारे में सूचना या परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए आवंटित ऐसी परियोजना से संबंधित स्पष्टीकरण या कार्यनिष्पादन या आवंटित निधि के उपयोग के बारे में सूचना को लिखित में या सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार करने हेतु पूछा जा सकता है जैसा भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपेक्षित समझे; अथवा

(बी) एक या एक से अधिक व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को नियुक्त करना जो कार्य करने अथवा कार्यनिष्पादन के लिए आवंटित परियोजना तथा आवंटित निधि के उपयोग के संबंध में पूछताछ कर सके।

(सी) अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आवंटित परियोजना के कार्यकरण अथवा कार्यनिष्पादन अथवा निधि के उपयोग के संबंध में राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा संबंधित व्यक्ति से उनके लेखों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु निर्देश देना।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

(डी) ऐसा कोई व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण अपेक्षित है जो इसे संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, रिटर्न, सांख्यिकी और अन्य सूचना भेजे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण को यह कार्य करना बाध्य होगा।

48. वित्त पोषण और कार्यान्वयन मॉडल – (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का विकास होगा और यह निरंतर अपने वित्तीय मॉडलों को संशोधित करेगा जिससे परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन और सततता में सुधार होगा और जिसे प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है।

49. समेकित रिपोर्टों को तैयार करना --- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, निगम अथवा व्यक्ति द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों और अन्य सूचना के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक जिले के द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों के संबंध में सूचना दी जायेगी।

(ए) उनके द्वारा कार्यनिष्पादित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्थिति से संबंधित अन्य कार्यकलाप की स्थिति;

(बी) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल की गुणवत्ता और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई;

(सी) गंगा नदी में जल की किसी भी रूप में रूकावट और उसके कारण;

(डी) विनिर्दिष्ट जिले में नदी तट और बाढ़ मैदान और आवास की स्थिति;

(ई) जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों पर किए गए उपचारात्मक उपाय;

(एफ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के साथ आने वाले शेष बाधाओं का पता लगाना;

(जी) रिपोर्ट यदि कोई है, जैसा कि गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया गया है;

(एच) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के बारे में संबंधित अन्य सभी सूचना;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपपैराग्राफ -1 में उल्लिखित समेकित रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात कार्यबल को उपचारात्मक कार्रवाई के साथ उसे प्रस्तुत करेगा ।

50. वार्षिक रिपोर्ट------ (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अगले वर्ष से तुरंत पहले अपने द्वारा और गंगा नदी के संबंध में अधिकार प्राप्त कार्यबल, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत के 3 माह में तैयार करेगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने द्वारा किए गए तथा गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, राज्य सरकारों, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों उपपैरा-1 में उल्लिखित इसकी समेकित वार्षिक रिपोर्ट में अलग-अलग भागों के तहत शामिल करेगी और इस समेकित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय गंगा परिषद और केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगी तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी दर्शाया जायेगा।

51. समितियों का गठन – राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने सदस्यों में से एक या ज्यादा गंगा नदी प्रबंधन समितियां बनाना' और नदियों अथवा जल के क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ इस आदेश के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

52. मार्गदर्शन प्राप्त करना- राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों अथवा इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का मार्ग दर्शन प्राप्त करें और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें।

53. जिला गंगा संरक्षण समितियों का गठन ---(1) केन्द्र सरकार गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए इस आदेश के प्रारम्भ से एक निश्चित समय के भीतर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा ऐसे अन्य राज्यों में , जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रत्येक जिले में (इस आदेश में इसके बाद विनिर्दिष्ट जिला कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा(3) के अंतर्गत " जिला गंगा संरक्षण समितियों" के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

| |
|---|
| (2) प्रत्येक विनिर्दिष्ट गंगा जिले में प्रत्येक जिला गंगा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: -- |
| (ए) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर। अध्यक्ष, पदेन |
| (बी) विनिर्दिष्ट जिले नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित दो से अधिक प्रतिनिधि सदस्य |
| (सी) राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजल विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य, पदेन |
| (डी) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से संबद्ध दो पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि। सदस्य |
| (ई) विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी । सदस्य, पदेन |
| (एफ) एक जिला अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर लिए नामित करे। सदस्य |

(2) जिला कलेक्टर जिला गंगा समिति के अध्यक्ष होंगे और डिवीजनल वन अधिकारी जिला गंगा समिति के संयोजक होंगे।

(3) जिला गंगा समितियों की बैठक का समय और स्थान का निर्धारण उस समिति के अध्यक्ष करेंगे और इस आदेश के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे।

बशर्ते कि जिला गंगा समिति की कम से कम एक बैठक प्रत्येक तीन माह में आयाजित की जाएगी।

(4) कोई गैर पदेन सदस्य सरकार को अथवा संबंधित जिला कलेक्टर के, जैसा भी मामला हो, लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा अथवा जिला कलेक्टर द्वारा , जैसा भी मामला हो, उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद सदस्य नहीं रहेगा।

54. जिला गंगा संरक्षण समिति का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण – जिला गंगा संरक्षण समिति के प्रबंधन (वित्तीय और प्रशासनिक मामलों सहित ) प्रबंधन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण इस आदेश में किसी बात के होते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में विहित होगा, जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा इसके किसी अधिकारी अथवा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

55. जिला समितियों के कार्य और शक्तियां- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति पैराग्राफ चार में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार पैराग्राफ छः और सात में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(2) विशेष रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के साथ लगने वाले डिग्रेडेड क्षेत्रों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए उप-पैराग्राफ 1 के सामान्य प्रावधानों के अलावा और इस आदेश और अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक गंगा समिति को विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे नामत :-

(ए) गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों अथवा रिवर बेड के संरक्षण के लिए गंगा नदी के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले के क्षेत्रों में संभावित खतरों की पहचान करना और उसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की योजना बनाना और कार्रवाई करना।

(बी) विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अथवा इसके रीवर बेड के संरक्षण के लिए अपनी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करना (इस आदेश के प्रावधानों को छोड़कर)।

(सी) उपचारात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में सक्षम न होने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और संबंधित राज्य सरकार, गंगा राज्य समिति, जैसा भी मामला हो, को गंगा नदी के बचाव के लिए निर्देश जारी करने हेतु रिर्पोटिंग (इलैक्ट्रोनिक और लिखित में हार्ड कापी भेजकर) और उपयुक्त प्रबंधन अथवा उपचारात्मक कार्रवाई तैयार करना।

(डी) इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और अन्य उपाय करना ताकि इस आदेश के प्रावधानों से अलग न होते हुए या किसी भी कानून को कुछ समय के लिए लागू करने की बजाए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके।

(3) यदि जिला गंगा संरक्षण समिति का यह मत है कि इस अधिनियम के तहत विसंगतियां की गयी हैं या कोई अन्य कानून कुछ समय के लिए लागू किया जा रहा है या इस आदेश के प्रावधानों से अलग है तो इसे कुछ समय के लिए कानून के अनुरूप करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(4) जिला गंगा संरक्षण समिति पैराग्राफ 7 में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी आपातकालीन उपाय करेगी।

56. नोडल अधिकारी का पदनाम----- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति निम्नलिखित को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी--

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच

(बी) ऐसे मामले में जो गांव गंगा नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगरपालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक नोडल अधिकारी जो उप-पैराग्राफ के तहत मनोनीत हुआ है (1) गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठा सकते और स्वयं गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय कर सकते या उनके नदी तटों जो ऐसे गांवों के साथ सटे हुए हैं या अन्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जिला गंगा समिति का अध्यक्ष गंगा नदी या इसके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं।

57. योजनाओं की तैयारी--- (1) प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु अपनी आयोजना की तैयारी करेगा और उक्त को उसके बाद एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के तहत योजना में विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों से पर्यावरणीय प्रदूषण से संरक्षण, नियंत्रण और उसे हटाने हेतु उठाए गए कार्यकलाप शामिल होंगे, जिसे राज्य सरकार, राज्य गंगा समितियों या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड और ऐसी योजना हेतु शामिल व्यय संस्तुत किया जा सकता है और समय जिसमें ऐसे कार्यकलापों को पूर्ण किया जाएगा।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate

(58) **बजट की तैयारी और लेखों का रखरखाव**---- प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति प्रत्येक वित्त वर्ष में अपेक्षित फंडों को और उन उद्देश्यों जिसके लिए फंड खर्च किया जाएगा, और समय सीमा जिसके भीतर बजट में उल्लेख किए गए कार्यकलाप को पूरा किया जाएगा को दर्शाते हुए अपने बजट को तैयार करेगी और संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सूचना देते हुए संबंधित राज्य गंगा समिति को प्रस्तुत करेगी और यह समिति, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अथवा सीएजी द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा लेखा परीक्षा के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निर्धारित लेखों का उपयुक्त रखरखाव सुनिश्चित करेगी और यह लेखे राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राज्य गंगा समिति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी संस्था द्वारा निरीक्षण के शर्ताधीन होंगे।

(59) **मासिक और वार्षिक रिपोर्टें**--- (1) प्रत्येक गंगा संरक्षण समिति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य समितियों जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय गंगा परिषद को मासिक और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(2) उप पैरा (1) में उल्लेख की गई वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त जिला गंगा संरक्षण समिति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को ऐसे समय और ऐसे फोर्म और तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे विनिर्दिष्ट जिले में उसके आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी बेसिन योजना हेतु अन्य रिटर्न, विवरण और कोई प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में अन्य ब्यौरे हेतु निर्देश दें।

60. **बजट आवंटन**---- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बजट आवश्यकता को समेकित और तैयार कर सकता है और उक्त जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

61. **केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश**--- इस आदेश में दी गई किसी भी बात के बावजूद, केंद्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण हो कि वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों या राज्य सरकारों तथा राज्य गंगा समितियों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या जिला गंगा समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण तथा सांविधिक निकायों या उनके अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो लिखित में निर्देश जारी करे जिससे वे गंगा नदी और उसके सहायिकाओं के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सके और ऐसा मंत्रालय या विभाग या प्राधिकरण या मिशन या बोर्ड या सरकार और सांविधिक निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

62. **अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत करना**--- इस आदेश के तहत गठित सभी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किए गए उनके अधिकारी कोर्ट के समक्ष उक्त धारा के अंतर्गत किसी उल्लंघन को संज्ञान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत कर सकते हैं।

63. **अन्य दायित्वों के अतिरिक्त आदेश**—इस आदेश के प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या कॉरपोरेशन या किसी व्यक्ति द्वारा गंगा नदी में कुशल प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार के प्रयोजन से उपाय करने हेतु अपने कार्यों के निर्वाह में और उसके संरक्षण और प्रबंधन और अभी लागू कोई अन्य कानून में अपने कार्यों के बिना किसी पक्षपात के है।

**अनुसूची**

**(पैराग्राफ 20 देखें)**

**राज्य और प्रबंधन समितियों की संरचना**

| क्र.सं. | विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन का नाम | राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समितियों की संरचना |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | (नाम) राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समिति | (क) मुख्य सचिव, राज्य सरकार (नाम) पदेन सदस्य |
| | | (ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन |
| | | (ग) प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, (नाम) सरकार- सदस्य, पदेन |
| | | (घ) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज्य सरकार (नाम)- सदस्य, पदेन |
| | | (ङ) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार (नाम)- सदस्य, पदेन |

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

| | | |
|---|---|---|
| | | (च) प्रधान सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन |
| | | (छ) अध्यक्ष (नाम) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य, पदेन |
| | | (झ) (नाम) राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के चीफ ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी-सदस्य, पदेन |
| | | (ञ) वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक, राज्य सरकार (नाम) -सदस्य, पदेन |
| | | (ट) सरकार (नाम) द्वारा संबंधित क्षेत्रों से पांच विशेषज्ञों से अधिक मनोनीत नहीं किए जाएंगे।-सदस्य |

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

**S.O. 3187(E).**—Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River;

And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;

And whereas, the demand for water of River Ganga is growing for irrigation, drinking water supplies, industrial use and hydro-power due to increase in population, urbanisation, industrialisation, infrastructural development and taking into account the need to meet competing demands;

And whereas there is an urgent need-

(a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-State and inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management;

(b) to maintain ecological flows in the River Ganga with the aim of ensuring continuous flows throughout its length so as to restore its ecological integrity that enables it to self rejuvenate;

(c) for imposing restrictions in areas abutting the River Ganga in which industries, operations or processes, or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;

(d) to make provision for inspection of any premises, plants, equipment, machineries, manufacturing or other processes, materials or substances and giving direction to the authorities, officers and persons as may be necessary to take steps, for prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga;

(e) for carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution in the River Ganga and examination of such manufacturing processes, material and substance as are likely to cause environmental pollution;

(f) for collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution in the River Ganga and preparation of manual, codes or guide relating to the prevention, control and abatement of environmental pollution;

And whereas the State Governments concerned, being equally responsible for Ganga rejuvenation, are required to co-ordinate and implement the river conservation activities at the State level, and to take steps for comprehensive management of the River Ganga in their States;

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Secret

And whereas it is required to have planning, financing, monitoring and coordinating authorities for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments and authorities under this Order for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) and (xiii) of sub-section (2) and (3) of section 3 and sections 4,5,9,10,11, 19, 20 and 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests numbers S.O.1111(E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2494 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 2495 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 287 (E) dated the 8th February, 2010 and in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation No. S.O. 2539 (E), dated the 29th September 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby------

(i)constitutes the authorities by the names mentioned in this Order for the purpose of exercising and performing such of the powers and functions (including the power to issue directions under section 5 of the Act and for taking measures with respect to the matters as mentioned in this Order;

(ii))directs, subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of this Order, such authority or authorities as specified in this Order that shall exercise the powers or perform the functions or take the measures so mentioned in this Order as if such authorities had been empowered by the Act to exercise those powers, perform those functions, or take such measures;

(iii)directs that all its powers and functions (except the power to constitute any authority under sub-section (3) of section 3 and to make rules under the sections 6 and 25 of the Act) under any provision of the Act shall, in relation to River Ganga and matters connected therewith, be exercisable and discharged also by the authorities constituted by this Order and by the officers specified in this Order, subject to such conditions and limitations and to the extent as specified in this Order.

**1.Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Applicability.-** This Order shall apply to the States comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**3.Definitions.- (1)** In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b)"Basin" means the entire catchment of a water body or water course including the soil, water, vegetation and other natural resources in the area and includes land, water, vegetation and other natural resources on a catchment basis;

(c)"Buffer Area" means an area which extends beyond the flood plain of a stream;

(d)"catchment" or ""catchment area "includes the entire land area whose runoff from rain, snow or ice drains into a water body or a water course, before the water course joins River Ganga or its tributaries or discharges water into River Ganga or its tributaries;

(e)"commercial fishing" means large scale fishing for commercial purposes by nets, poisoning, or other modern fishing gear or methods in River Ganga or its tributaries;

(f) Competent authority means "Central Government"

(g)"deforestation" means removal or reduction of forest cover, especially when caused by anthropogenic activities or removal of trees and other vegetation of a forest excluding a planned clearance for scientific management of forest in particular in the catchment area of River Ganga;

(h)"degraded forest" means a forest having loss or reduction of native forest cover or vegetation density in the catchment area abutting River Ganga or its tributaries;

(i)"direction" shall mean direction issued under section 5 of the Act and the expression "direct" shall be construed accordingly;

(j) "District Ganga Committee" means the District Ganga Protection Committee mentioned in paragraph 53;

(k)"engineered diversion" means a structure or device constructed or installed to transfer the water of River Ganga or its tributaries into canals or other engineering structures;

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariate

(l)"flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

(m)"Ghat" means sloping part at Bank of River Ganga or its tributaries with artificially constructed steps or sloping piece of land used for providing easy human access to water of River Ganga or its tributaries and includes usage of such parts for religious or other related purposes;

(n)"local authority" includes Panchayati raj institutions, municipalities, a district board, cantonment board, town planning authority or Zila Parishad or any other body or authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or with the control and management of civic services, within a specified local area;

(o)"National Mission for Clean Ganga" means the authority mentioned in paragraph 31.

(p) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression 'notifying' shall be construed accordingly;

(q)"offensive matter" consists of solid waste which includes animal carcasses, kitchen or stable refuse, dung, dirt, putrid or putrefying substances and filth of any kind which is not included in the sewage;

(r)"person" include ----

(i)an individual or group or association of individuals whether incorporated or not;

(ii)a company established under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(iii)any corporation established by or under any Central or State Act;

(iv)a local authority;

(v) every juridical person not falling within any of the preceding sub-clauses;

(s)"River Bed" means the dried portion of the area of River Ganga or its tributaries and includes the place where the River Ganga or its tributaries run its course when it fills with water and includes the land by the side of River Ganga or its tributaries which retains the water in its natural channel, when there is the greatest flow of water;

(t) "River Bed Farming" includes seasonal agriculture or farming on the River Bed of River Ganga or its tributaries during low flows of water;

(u)"River Ganga" means the entire length of six head-streams in the State of Uttarakhand namely, Rivers Alakananda, Dhauli Ganga, Nandakini, Pinder, Mandakini and Bhagirathi starting from their originating glaciers up to their respective confluences at Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, and Dev Prayag as also the main stem of the river thereafter up to Ganga Sagar including Prayag Raj and includes all its tributaries;

(v) "rubbish" means ashes, broken brick, mortar, broken glass, dust or refuse of any kind and includes filth;

(w) "sand mining" means large scale removal of river sand from the dried channel belt, flood plain or a part of River Ganga or its tributaries;

(x) "sewage effluent" means effluent from any sewerage system or sewage disposal works and includes sewage from open drains;

(y) "sewerage scheme" means any scheme which a local authority may introduce for removal of sewage by flushing with water through underground closed sewers;

(z) "Schedule" means Schedule appended to this Order;

(za) "specified District" means an area of every District abutting the River Ganga, being within a radius of fifteen kilometers of the Ganga River Bank or its tributaries in the States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as referred to in this Order;

(zb) "State Ganga Committee" means the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee constituted under this Order for each of the States mentioned in paragraph 2.

(zc) State Ganga River Conservation Authority means an authority earlier constituted in each State under the Act as follows, namely:-

(i) the Bihar State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O287 (E), dated 8th February 2010;

(ii) the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2495(E), dated 30th September 2009;

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(iii) the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 1111 (E), dated 30th September 2009;

(iv) the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2493 (E), dated 30th September 2009; and

(v) the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2494 (E), dated 30th September 2009.

(zd) "stream" includes river, water course (whether flowing or for the time being dry), inland water (whether natural or artificial ) and sub-terrain waters;

(ze) "tributaries of River Ganga" means those rivers or streams which flow into River Ganga and includes Yamuna River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.

2. The words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. **Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga.** – (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(i) the River Ganga shall be managed as a single system;

(ii) the restoration and maintenance of the chemical, physical, and biological quality of the waters of River Ganga shall be achieved in a time bound manner;

(iii) the River Ganga shall be managed in an ecologically sustainable manner;

(iv) the continuity of flow in the River Ganga shall be maintained without altering the natural seasonal variations;

(v) the longitudinal, lateral and vertical dimensions (connectivities) of River Ganga shall be incorporated into river management processes and practices;

(vi) the integral relationship between the surface flow and sub-surface water (ground water) shall be restored and maintained;

(vii) the lost natural vegetation in catchment area shall be regenerated and maintained;

(viii) the aquatic and riparian biodiversity in River Ganga Basin shall be regenerated and conserved;

(ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;

(x) the public participation in rejuvenation, protection and management,revision and enforcement of any regulation, standard, effluent limitation plan, or programme for rejuvenation, protection and management shallbe encouraged and made an integral part of processes and practices of

River Ganga rejuvenation, protection and management.

(2)National Mission for Clean Ganga may, having regard to the needs of the people of the country, advances in technology and socio economic conditions of the people and to preserve the rich heritage of national composite culture, specify additional principles in addition to the principles specified under sub-paragraph (1).

**5.Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.** – (1) Every State Government, shall endeavor to ensure that uninterrupted flows of water are maintained at all times in River Ganga as required under clause (iv) of paragraph (4).

(2) Every State Government shall also endeavor to maintain adequate flow of water in River Ganga in different seasons to enable River Ganga to sustain its ecological integrity and to achieve the goal, all concerned authorities shall take suitable actions in a time bound manner.

(3) For the purposes of this paragraph, the average flow of water shall be determined by such Hydrology Observation Stations at such points of the River Ganga, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga:

Provided that the average flow of water in River Ganga may, having regard to ecology, be determined by the National Mission for Clean Ganga for different points of River Ganga.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

**6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries.-** (1) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated sewage or sewage sludge into the River Ganga or its tributaries or its banks:

Provided that where a local authority does not have, on the date of commencement of this Order, sewerage scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of sewage or sewage sludge or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such local authority shall, within a period, specified by National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of sewage in the territorial area of the local authority.

(2) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance into the River Ganga or its tributaries or on their banks:

Provided further that where an industry or industrial area management does not have, on the date of commencement of this Order, industrial effluent treatment scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of trade effluents industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance, etc. or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such industry or industrial area management shall, within a period so specified by the National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance in the jurisdiction of the industry or industrial area management.

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.

(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.

(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.

**7. Emergency measures in case of pollution of River Ganga or its tributaries** --- If any poisonous, noxious or polluting matter is present or has entered into the River Ganga due to any accident or other unforeseen act or event, and it is necessary or expedient to take immediate action, the National Mission for Clean Ganga shall take immediate action for carrying out such operations or direct for carrying out such operations by the specified State Ganga Committee or specified District Ganga Committee or local authority or any other authority or Board or Corporation, as it may consider necessary for all or any of the following purposes, namely; -

(a)the manner of removing the matter from River Ganga and disposing it off in such a manner as it may specify, as also, for carrying out such operations as is considered appropriate for mitigation or removal of any pollution caused by such matter;

(b) issuing directions restraining or prohibiting any person concerned from discharging any poisonous, noxious or polluting matter in the River Ganga;

(c) undertaking any additional work or functions as may be necessary to address such emergency.

**8. Power to issue directions. -** The National Mission for Clean Ganga shall, in the exercise of its powers and performance or its functions under this Order, issue such directions in writing as it may consider necessary for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga to the concerned authority or local authority or other authorities or Board or Corporation or person and they shall be bound to comply with such directions.

**9. Ganga safety audit.-** Every District Ganga Committee shall cause the Ganga safety audit to be carried out by such Ganga Safety Auditors within such time frame and in accordance with such protocols as may be specified by the

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow

National Mission for Clean Ganga for the area of the River Ganga abutting such district and forward the copy of the report of such safety audit along with remedial action taken thereon to the concerned State Ganga Committee and the National Mission for Clean Ganga, which shall take appropriate action thereon, if required.

**10. Pollution in River Ganga and its tributaries to be monitored.-** (1) The pollution in River Ganga and its tributaries shall be monitored by the National Mission for Clean Ganga on its own or by directions through various State and Central Government agencies by use of satellite imagery and other remote sensing technologies as well as physical stations, online monitoring and independent agencies at a periodicity to be specified by it.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), the Central Government may assign the function of monitoring of pollution in River Ganga and its tributaries to any other agency or body or direct, having regard to advances in technology, to monitor the aforesaid pollution in River Ganga and its tributaries by adopting any other technique or method, as may be specified in the direction.

**11. Constitution of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga. -** With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, (hereinafter in this Order called as the National Ganga Council) for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

**12.Composition of National Ganga Council.-**The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:-

| | |
|---|---|
| (a)Prime Minister | -*Chairperson ,ex-officio* |
| (b) Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | - *Vice-Chairperson, ex-officio* |
| (c)Union Minister for Environment, Forests and Climate Change | - *Member, ex-officio;* |
| (d)Union Minister for Finance | - *Member, ex-officio;* |
| (e)Union Minister for Urban Development | - *Member, ex-officio;* |
| (f) Union Minister for Power | - Member, *ex-officio;* |
| (g)Union Minister for Science and Technology | - Member, *ex-officio;* |
| (h)Union Minister for Rural Development | - Member, *ex-officio;* |
| (i)Union Minister for Drinking Water and Sanitation | - Member, *ex-officio;* |
| (j) Union Minister for Shipping | - Member, *ex-officio;* |
| (k) Union Minister of State for Tourism | - Member, *ex-officio;* |
| (l) Vice Chairman, NITI Aayog | - Member, *ex-officio;* |
| (m)Chief Minister, Bihar | - Member, *ex-officio;* |
| (n) Chief Minister, Jharkhand | - Member, *ex-officio;* |
| (o) Chief Minister, Uttarakhand | - Member, *ex-officio;* |
| (p) Chief Minister, Uttar Pradesh | - Member, *ex-officio;* |
| (q) Chief Minister, West Bengal | - Member, *ex-officio;* |
| (r) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | - Member, *ex-officio;* |
| (s)Director General, National Mission for Clean Ganga | – Member Secretary, *ex-officio.* |

(2) The National Ganga Council may co-opt one or more Chief Ministers from the States not represented in the National Ganga Council having major tributaries of River Ganga, which are likely to affect the water quality in the River Ganga, as Member.

(3) The National Ganga Council may also co-opt one or more Union Ministers, if it considers necessary, as Member.

(4) The National Ganga Council may consult experts and expert organisations or institutions in the field of river rejuvenation, river ecology and river management, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and other relevant fields.

(5) The Headquarter of the National Ganga Council shall be at New Delhi or at such other place as it may decide.

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariate

(6) The National Ganga Council shall have its Secretariat in the National Mission for Clean Ganga.

(7) The Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation shall serve as the nodal Ministry.

**13. Dissolution of National Ganga River Basin Authority** --- (1) On and from the date of constitution of the National Ganga Council in paragraph 11, the National Ganga River Basin Authority constituted by Notification of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, number S.O 2539 (E), dated the 29th September 2014 shall stand dissolved.

(2) All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the National Ganga River Basin Authority before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

**14.Superintendence, direction and control of management of River Ganga to vest in National Ganga Council.-** The National Ganga Council shall, notwithstanding anything contained in this Order, be overall responsible for the superintendence, direction, development and control of River Ganga and the entire River Basin (including financial and administrative matters) for the protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its rejuvenation to its natural and pristine condition and to ensure continuous adequate flow of water in the River Ganga and for matters connected therewith.

**15. Jurisdiction of National Ganga Council.-** The jurisdiction of the National Ganga Council shall extend to the areas mentioned in paragraph 2.

**16. Meetings of National Ganga Council.-** (1) National Ganga Council may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2) The Chairperson of the National Ganga Council shall preside over its meetings and in his absence, its Vice-Chairperson shall, preside over the meetings of the National Ganga Council and conduct its business.

(3) The Vice-Chairperson shall have the power to take decisions necessary for the National Ganga Council to achieve its objectives. in between the conduct of the two meetings of the Council subject to ratification in the next meeting.

(4) The National Ganga Council shall meet at least once every year or more as it may deem necessary.

**17. Constitution of Empowered Task Force on River Ganga as authority.-** (1) With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the Empowered Task Force on River Ganga for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

| (2) The Empowered Task Force on River Ganga shall consist of the following members, namely:- | |
|---|---|
| (a)Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | - Chairperson, *ex-officio*; |
| (b) Union Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | - Vice-Chairperson, *ex-officio*; |
| (c)Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | - Member, *ex-officio* |
| (d) Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) | - Member, ex-officio; |
| (e) Chief Executive Officer, Niti Ayog | - Member, ex-officio; |
| (f) Chief Secretary, State of Uttrakhand | - Member, ex-officio; |
| (g) Chief Secretary, State of Uttar Pradesh | - Member, ex-officio; |
| (h)Chief Secretary, State of Bihar | - Member, ex-officio; |
| (i) Chief Secretary, State of Jharkhand | - Member, ex-officio; |
| (j) Chief Secretary, State of West Bengal | - Member, ex-officio; |
| (k) Director General , National Mission for Clean Ganga | - Member-Secretary |

(3) The Empowered Task Force on River Ganga may also co-opt one or more Secretary in the Union Ministries or the Chief Secretary of any other State concerned, if it considers necessary, as member

(4) The Empowered Task Force on River Ganga shall meet at least once every three months or more as it may deem necessary.

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

(5) The administrative and technical support to the Empowered Task Force on River Ganga shall be provided by the Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which shall be the nodal Ministry for the purposes of such administrative and technical support.

**18. Functions and powers of Empowered Task Force on River Ganga. –**

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall co-ordinate and advise on matters relating to rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), the functions and powers of the Empowered Task Force on River Ganga may include measures with respect to all or any of the following matters in rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(a) ensuring that the Ministries, Departments and State Governments concerned have -

   (i) an action plan with specific activities, milestones, and timelines for achievement of the objective of rejuvenation and protection of River Ganga;

   (ii) a mechanism for monitoring implementation of its action plans;

(b) co-ordination amongst the Ministries and Departments and State Governments concerned for implementation of its action plans in a time bound manner;

(c) to monitor the implementation process, address bottlenecks, suggest and take such decisions as may be necessary to ensure speedy implementation;

(d) all projects under the ambit of Namami Gange including ongoing projects funded domestically and through external assistance;

(e) discharge of such other functions or exercise of such powers as may be considered necessary for achievement of the objective of rejuvenation, protection and management of River Ganga or as may be assigned to it by the Central Government or specified by the National Ganga Council;

**19. Approval for projects exceeding value of rupees one thousand crore.-**

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall be responsible for the approval of every project exceeding a value of rupees one thousand crore, as amended from time to time.

(2) The Empowered Task Force on River Ganga may constitute a sub-committee of officials amongst its members for the purpose of sub-paragraph (1)

**20. Constitution and Composition of Specified State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committees as authorities.–** With effect from the date of commencement of this Order, these shall be constituted, in each State as specified in paragraph 2, an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee, which shall consist of a Chairperson and other members as specified in the Schedule to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

**21. Meetings of State Ganga Committee. –** (1) Every State Ganga Committee may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2)Every State Ganga Committee shall convene its meetings at least once in every three months' time.

(3) The Chairperson of the State Ganga Committee shall preside over its meetings and in his absence, the said Committee shall elect its Vice-Chairperson who shall, preside over the meetings of the State Ganga Committee and conduct its business.

**22. Superintendence, direction and control over Committee.-** The superintendence, direction and control of the District Ganga Committees shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the State Ganga Committee, for the purposes of rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga in the States concerned.

**23. Decisions of State Ganga Committee to be binding.-** The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision and they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

**24. Powers, duties and functions of State Ganga Committees.–** (1) Every State Ganga Committee shall, subject to the provisions of the Act and rules made or directions issued thereunder, have the power to take all such measures, including those in paragraphs 6, 7 and 8, as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation

Oath Commissioner
A.T.
Lucknow
Civil Secretariate

of the River Ganga and for implementing the decisions or directions of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(2) The State Ganga Committee shall implement various programmes and projects of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2), such measures may include all or any of the following matters, namely:-

(a) coordination and implementation of the conservation activities relating to River Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness and such other measures at the State level and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the State concerned;

(b) implementation of the river basin management plan in the concerned State;

(c) maintenance of minimum ecological flows in the River Ganga in the concerned State and actions thereon;

(d) entry and inspection under section 10 and power to take sample under section 11 of the Act for the purpose of exercising and performing its functions under this Order.

(4) The State Ganga Committee shall undertake all the emergency measures mentioned in paragraph 7.

(5) The State Ganga Committee shall have the powers to issue directions under section 5 of the Act.

(6) The powers and functions of the State Ganga Committee shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the State Government under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Act.

**25. Monitoring execution of plans and programmes of District Ganga Committees.-** Every State Ganga Committee shall monitor the execution of plans, programmes, and projects of all their District Ganga Protection Committees and those of other authorities and submit progress in respect thereof to the National Mission for Clean Ganga.

**26. Preparation of consolidated reports of all District Ganga Committees and taking remedial measures in respect thereof.-** (1) Every State Ganga Committee shall prepare a consolidated report of all District Ganga Protection Committees, local authorities or other authorities or Board or Corporation or person for every quarter indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries, ----

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries in each specified District and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of flow in the River Ganga in each specified District and reasons therefor;

(d) remedial measures taken on the complaints made to the District Ganga Committee or local authorities or other authorities;

(e) adverse report as reported by Ganga safety auditors in each specified District;

(f) any other information relevant to the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The report referred to in sub-paragraph (1) shall be submitted within one month at the end of each year to the State Ganga Committee and National Mission for Clean Ganga along with remedial action thereof.

**27. Conducting of Ganga safety audit and submission of such audit reports by State Ganga Committees.-** (1) It shall be the duty of the State Ganga Committees to conduct or causes to be conducted, through the District Ganga Committees, the Ganga safety audit and submit report of the Ganga safety audit to the National Mission for Clean Ganga along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

(2) The Ganga safety audit shall include such particulars and be done at such intervals (save as otherwise provided in this Order) and in such manner as may be specified, by notification, by the National Mission for Clean Ganga.

**28. State Ganga Committee to be nodal agency.-** The State Ganga Committee shall be the State-wide nodal agency in the State for the implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

**29. State Ganga Committees to be bound by direction of National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.-** Every State Ganga Committee, without prejudice to the foregoing provisions of this Order, shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Order, be bound by the decisions or such directions (including those relating to technical and administrative matters) as the National Ganga Council and the National Mission for Clean

Oath Commissioner
A.T.
Lucknow
Civil Secretariate

Ganga may give in writing to it from time to time for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**30. Dissolution of State Ganga River Conservation Authorities and State Executive Committees.-** (1) With effect from the date of constitution of the State Ganga Committees, the respective State Ganga River Conservation Authorities and the respective State Executive Committees constituted before the commencement of this Order shall stand dissolved.

(2)All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the authorities and committees under sub-paragraph (1) before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

**31. Constitution of National Mission for Clean Ganga as an authority.-**(1) With effect from the date of commencement of this Order, the National Mission for Clean Ganga, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), shall be an authority constituted under the Act, by the same name for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified under this Order and the Act and the rules made or directions issued thereunder.

(2) The composition of the National Mission for Clean Ganga shall be as specified in paragraph 35.

**32. Area of operation of National Mission for Clean Ganga.-** The area of operation of the National Mission for Clean Ganga shall be the areas mentioned in paragraph 2.

**33. National Mission for Clean Ganga to be nodal agency.-** The National Mission for Clean Ganga shall be the nodal agency for the nationwide implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

**34. National Mission for Clean Ganga to be an empowered organization.-** The National Mission for Clean Ganga shall be an empowered organisation with two tier management having administrative, appraisal and approval powers and duties, functions and powers as specified in this Order.

**35. Composition of National Mission for Clean Ganga.-** The National Mission for Clean Ganga shall have a two-tier management structure and it shall comprise of the Governing Council and the Executive Committee.

(1) The Governing Council shall consist of the following members, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Director General of National Mission for Clean Ganga | Chairman, ex-officio |
| (b) | Joint Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | Member, *ex-officio* |
| (c) | Joint Secretary, Ministry of Urban Development | Member, *ex-officio* |
| (d) | Joint Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change | Member, *ex-officio* |
| (e) | Joint Secretary, Department of Expenditure | Member, *ex-officio* |
| (f) | Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary) | Member, *ex-officio* |
| (g) | Chairman, Central Pollution Control Board | Member, *ex-officio* |
| (h) | Principal Secretary, Urban Development, Government of Bihar | Member, *ex-officio* |
| (i) | Principal Secretary, Urban Development, Government of Jharkhand | Member, *ex-officio* |
| (j) | Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh | Member, *ex-officio* |
| (k) | Principal Secretary, Peyjal, Government of Uttarakhand | Member, *ex-officio* |
| (l) | Principal Secretary, Urban Development, Government of West Bengal | Member, *ex-officio* |
| (m) | Executive Director(Deputy Director General), National Mission for Clean Ganga | Member, *ex-officio* |
| (n) | Executive Director (Technical),National Mission for Clean Ganga | Member, *ex-officio* |

| | | |
|---|---|---|
| (o) | Executive Director (Finance), National Mission for Clean Ganga | Member, *ex-officio* |
| (p) | Executive Director (Projects), National Mission for Clean Ganga | Member, *ex-officio* |
| (q) | Executive Director(Administration), National Mission for Clean Ganga | Member- Secretary. |

(2) The Executive Committee constituted out of the Governing Council, shall consist of the following members, namely:-

(a) Director General, National Mission for Clean Ganga – Chairperson, ex-officio;
(b) Joint Secretary, Department of Expenditure – Member, ex-officio;
(c) Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary) – Member, ex-officio;
(d) Principal Secretary of the State concerned – Member, ex-officio;
(e) Executive Director (Deputy Director General) National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(f) Executive Director (Finance) National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(g) Executive Director (Technical) National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(h) Executive Director (Projects) National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(i) Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;

(3) The Director General, National Mission for Clean Ganga may, if he considers necessary, may associate with the Executive Committee, any other member from the Governing Council.

(4) The Governing Council may constitute a sub-committee from out of its members and also by associating some technical experts for appraisal of the projects.

(5) The representative of the State concerned shall also be one of the members of sub-committee.

(6) Half of the members of the Governing Council shall form the quorum.

**36.** (1) All approvals up to one thousand crores rupees shall be granted by the Executive Committee and it shall report to the Governing Council at least once in three months.

(2) The Sub-Committee of the Governing Council shall appraise the project only after completion of Third Party Appraisal of the project by technical experts or consortium of recognized institutes or Indian Institutes of Technology, as the case may be.

(3) The Third Party Appraisal shall be for all projects irrespective of their value.

**37. Appointment of Director General and Executive Directors of National Mission for Clean Ganga.-**

(1) Director General, National Mission for Clean Ganga shall be appointed by the Central Government who shall be equivalent to the rank of Additional Secretary or Secretary to the Government of India and his terms and conditions of services shall be determined by Central Government.

(2) The Executive Director (Finance) shall be appointed on deputation from any of the organised accounts services in the Central Government in the rank equivalent to Joint Secretary to Government of India in accordance with the recruitment rules of the said services.

(3) National Mission for Clean Ganga shall have at least one position for each of the Executive Directors in the rank of Joint Secretary to Government of India.

(4) One of the Executive Directors shall be designated as Deputy Director General of the National Mission for Clean Ganga and he shall be appointed by the Central Government.

(5) None of the nominated members of the Executive Committee shall be below the rank of Joint Secretary in Government of India.

**38. Duty of National Mission for Clean Ganga.-** It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga to -

(i) follow the principles laid down in paragraph 4

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

(ii) comply with the decisions and directions of the National Ganga Council and implement the Ganga Basin Management Plan approved by it;

(iii) co-ordinate all activities for rejuvenation and protection of River Ganga in a time bound manner as directed by the National Ganga Council;

(iv) do all other acts or abstain from doing certain act which may be necessary for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.

39. **Functions of National Mission for Clean Ganga.-** (1) Without prejudice to the provisions of this Order, the National Mission for Clean Ganga shall identify or cause to be identified -

(a) the specific threats to the River Ganga in areas in each village and town of such specified District abutting River Ganga and its tributaries, including sewerage and industrial waste, cremation and burial of corpses and disposal of animal carcasses, and threats from commercial, recreational and religious activities;

(b) the type of measures required to address such threat in each village and town of all districts abutting River Ganga and its tributaries;

(c) the specific areas where such remedial actions are required to be taken for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.

(d) the measures which may be necessary for reuse of treated water and enter in to Memorandum of Understanding in this regard with the Ministries of the Central Government like Railways, Power, Petroleum and Natural Gas etc., State Governments, autonomous bodies at the Central and State level, recognized Institutes and organizations which the National Mission for Clean Ganga may deem fit.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall make or cause to make the River Ganga Basin Management Plan along with cost, timelines and allocation of responsibilities, among other things, for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries in each village and town of specified District abutting River Ganga and its tributaries and execute projects there for.

(3) The National Mission for Clean Ganga shall -----

(a) cause to be determined the magnitude of ecological flows in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries and notifying the same and take or direct all such measures necessary to maintain adequate ecological flows;

(b) cause to be identified places where the environmental flow of water of River Ganga has been modified and take measures for correction thereof to maintain the continuous flow of water for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;

(c) identify places of discontinuity of water in River Ganga and its tributaries due to engineered diversion of water or storage of water or by any other means and execute plans in respect thereof or take remedial action therefor;

(d) devise a system to be put in place for continuous monitoring of flow of water and pollution levels in River Ganga and its tributaries;

(e) take all such measures which may be necessary to give effect to the decisions of the National Ganga Council so as to maintain adequate ecological flows in the River Ganga and tributaries;

(f) render assistance or cause them to be rendered by any agency for preparation of detailed project reports or execution of projects for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries to the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities or any person or body, any authority, Board or Corporation;

(g) set up or facilitate setting up or designate and direct one or more existing centers to research, develop and disseminate knowledge base and analytical tools on abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;

(h) take any other measures which may be necessary for continuous flow of water and abatement of pollution in River Ganga and its tributaries

(4)The National Mission for Clean Ganga shall take all such other emergency measures as outlined in paragraph 7.

40. **Establishment of River Ganga Monitoring Centres at suitable locations along River Ganga and its tributaries.-** The National Mission for Clean Ganga may identify the places in the River Ganga Basin and establish at such places or designate any existing laboratory or station or institute as Centres to be called the "River Ganga

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

Monitoring Centre" for monitoring amongst other things, continuous flow of water and pollution levels as required under this Order and such Centre shall report immediately to the National Mission for Clean Ganga for taking remedial action therefor.

41. Powers of **National Mission for Clean Ganga.-** (1) The National Mission for Clean Ganga being the national agency charged with the role, responsibility and powers to facilitate the task of rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries, under the supervision and direction of the National Ganga Council, shall recommend to the National Ganga Council or Central Government for issuing directions or issue directions itself, to the State Ganga Committees or District Ganga Committees or local authority or any other authority or any person, institution, consortium or agency, as it may decide, for the rejuvenation, protection and management of River Ganga and have the power to take all such measures and discharge such functions as it may deem necessary or expedient for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga and for matters connected therewith.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), and save as otherwise provided in this Order, such directions may include all or any of the following matters in the management of River Ganga, namely:-

(a) fulfillment of the functions mentioned in paragraph 55 in accordance with the principles in paragraph 4;

(b) formulate, with the approval of the Central Government, the National policy for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga;

(c) enter into memorandum of understanding, with the approval of the Central Government, with any country or foreign agency for effective implementation of the River Ganga Basin Management Plan for rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga and its tributaries;

(d) approve, with or without modifications, the River Ganga Basin Management Plan and direct amendments, if any, to be made therein;

(e) supervise and review the progress reports, and issue directions to the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities and other authorities in the implementation of the River Ganga Basin Management Plan and any other matter connected with affairs of the River Ganga and its tributaries;

(f) approve the planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the River Ganga including augmentation of sewerage and effluent treatment infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness, conservation of aquatic and riparian life and biodiversity and such other measures for promoting environmentally sustainable river rejuvenation;

(g) coordination, monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(h) direct any person or authority to take measures for restoration of river ecology and management in the River Ganga Basin States;

(i) recommend to the Central Government, for creation of special purpose vehicles (whether as a company under the companies Act, 2013(18 of 2013) or Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a Trust under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882)), as may be considered appropriate, for implementation of this Order and for the purposes of the Act;

(j) take such measures as may be necessary for the better co-ordination of policy and action to ensure effective prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(k) issue such directions to any person or authority, as it may consider necessary, for proper or prompt execution of the projects or cancel such projects or stop release of funds or direct refund of amount already released and assign the same to any other person or authority or Board or Corporation for prompt execution thereof;

(l) direct any person or authority to maintain such books of account or other documents, without prejudice to any law for the time being in force, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga;

(m) take such other measures which may be necessary for achievement of prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(3)The National Mission for Clean Ganga shall have the power to issue directions mentioned under section 5 of the Act.

(4)The National Mission for Clean Ganga may evolve an appropriate mechanism for implementation of its decisions and the decisions of the National Ganga Council.

Oath Commissioner A.I.A. Lucknow Civil Secretariate

**42. Giving of prior approval in certain matters.-** Every person, the State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authorities and other authorities shall obtain prior approval of the National Mission for Clean Ganga, on the following matters, relating to River Ganga and any area abutting River Ganga or its tributaries, if required to implement the decisions of the National Ganga Council, namely:-

(a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;

(b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;

(c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat;

(d) construction of jetties;

(e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;

(f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco-sensitive areas;

(g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

**43. Financial framework.-** (1) The budgetary allocation shall be utilised by the National Mission for Clean Ganga for meeting expenses in connection with the discharge of its functions, objects and purposes and establishment expenditure: Provided that the money received by way of grants, loans and borrowings shall be expended for the specific purpose for which such grants, loans and borrowings have been received.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual expenditure statement.

(3)The audit of National Mission for Clean Ganga accounts shall be done by the Comptroller and Auditor-General of India and after completion of annual audit, the audit agency shall furnish annual audit certificate.

(4)The affairs of National Mission for Clean Ganga shall be subject to the control of Central Vigilance Commission and there shall be a Vigilance Officer to look after vigilance related matters.

(5) The annual expenditure statement with the audit report shall be forwarded annually to the Empowered Task Force, and the Central Government for being laid before each House of Parliament.

**44. Engagement of legal experts.-** The National Mission for Clean Ganga shall have proper legal set up for which it may engage legal experts, consultants and legal firms as may be necessary for advising it on legal matters and providing support for discharging its duties.

**45. Scrutiny of reports.-** All the reports relating to its activities and reports received from the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, Board, Corporation or any person shall be scrutinised by the National Mission for Clean Ganga and placed by it along with its views on the matters mentioned in such report before the National Ganga Council for soliciting its guidance thereon, if required.

**46. Consolidated report of Ganga Safety audit.-** The National Mission for Clean Ganga shall prepare and submit a consolidated report of the Ganga safety audits of River Ganga to the National Ganga Council along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

**47. Powers of National Mission for Clean Ganga to call for information, conduct inspection, publish reports, etc.-** (1) Where the National Mission for Clean Ganga considers it expedient so to do under section 5 of the Act, it may, by order in writing.-

(a) call upon any State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person, who has been allotted any project for execution or connected with such project or utilisation of funds, at any time, to furnish in writing or make public for dissemination such information or explanation relating to such project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted as the National Mission for Clean Ganga may require; or

(b)appoint one or more persons or any authority to make an inquiry in relation to project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted; or

(c) direct any of its officers or employees or the officers or employees of the Central Government or State Government or any other authority to inspect the books of account or other documents of the State Ganga Committees, District Ganga

Oath Commissioner A.T.A. Lucknow Civil Secretariate

Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person related to any project allotted for execution or executed or utilisation of funds; or

(d) require any person, officer, State Government or authority to furnish to it any reports, returns, statistics, accounts and other information and such person, officer, State Government or other authority shall be bound to do so.

**48. Financing and implementation model.–** The National Mission for Clean Ganga shall develop and constantly refine financial models that would improve the performance and sustainability of projects, and which can be adopted by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, other authority or person for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

**49. Preparation of consolidated reports.-** (1) The National Mission for Clean Ganga shall, on the basis of the reports and other information forwarded by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, prepare a consolidated report every year indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries.-

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of water in the River Ganga and reasons therefor;

(d) condition of River Bed and flood plains and habitat in the specified District;

(e) remedial measures taken on the complaints received from public by the District Ganga Committee or local authorities;

(f) threats remaining to be addressed by then with remedial action proposed therefor;

(g) report if any as reported by Ganga safety auditors;

(h) all other information relevant about the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall submit a consolidated report referred to in sub-paragraph (1) after review thereof to the Empowered Task Force along with remedial action thereof.

**50. Annual report.-** (1) The National Mission for Clean Ganga shall, within three months of the end of every year, prepare an annual report of all work undertaken by it and by the Empowered Task Force on River Ganga, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or persons during the immediately preceding year.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall include under separate parts in its annual report referred to in sub-paragraph (1), all works undertaken by it and the Empowered Task Force on River Ganga, the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, and forward the said annual report to the National Ganga Council and the Central Government and also make available in public domain and exhibit at its website.

**51. Constitution of Committees.-** The National Mission for Clean Ganga may, constitute one or more River Ganga Management Committees from amongst its members and such experts in the field of rivers or water as it may consider appropriate for the efficient discharge of its functions under this Order.

**52. Soliciting guidance.-** In case any difficulty arises in implementing decisions of the National Ganga Council or the provisions of this Order, it shall be duty of the National Mission for Clean Ganga to solicit the guidance of the National Ganga Council and take appropriate action accordingly.

**53. Constitution of District Ganga Protection Committees.-** (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

| | |
|---|---|
| (2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:- | |
| (a) the District Collector in the specified District; | - Chairperson, ex-officio; |
| (b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. | - Members; |

Oath Commissioner A-I Lucknow Civil Secretariate

| | |
|---|---|
| (c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector | - Member, ex-officio; |
| (d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector | - Members.: |
| (e) one Divisional Forest Officer of the specified District | - Member, ex-officio |
| (f) one District official to be nominated by the District Collector. | - Member; |

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order:

Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be.

**54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.-** The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

**55. Functions and powers of District Ganga Committees.-** (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order)

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

**56. Designation of Nodal Officer.-** (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order -

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(ii) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. **Preparation of plans.-** (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed.

58. **Preparation of budget and maintenance of accounts.-** Every District Ganga Committee shall prepare its budget for every financial year indicating therein the funds required and purposes for which such funds shall be spent and the time limit within which the activity mentioned in the budget shall be completed and submit to concerned State Ganga Committee under intimation to National Mission for Clean Ganga and such Committee shall ensure proper maintenance of accounts as directed by National Mission for Clean Ganga, for audit by the Comptroller and Auditor-General of India or any other agency appointed by the Comptroller and Auditor-General of India and such accounts shall be subject to inspection by National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga, State Ganga Committee or any of their appointed entities.

59. **Monthly and annual reports.-** (1) Every District Ganga Committee shall, submit monthly and annual reports to the National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga and State Ganga Committee as directed by National Mission for Clean Ganga within specified timelines.

(2) In addition to the annual report referred to in sub-paragraph (1), the District Ganga Committee shall furnish to the National Mission for Clean Ganga at such time and in such form and manner it may direct to furnish such other returns, statements and other particulars in regard to any proposed or existing programme for the River Ganga Basin Plan for the abutting area in the specified District.

60. **Budget allocation.-** The National Mission for Clean Ganga shall consolidate and prepare the budget requirement and submit the same to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

61. **Direction by Central Government.-** Notwithstanding anything contained in this Order, it shall be lawful for the Central Government to issue directions in writing to the Ministries or Departments of the Government of India, or the State Government or the State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga or District Ganga Committees, or local authority or other authority or statutory bodies or any of its officers or employees, as the case may be, to facilitate or assist in the rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries in such manner as it may direct, and such Ministry or Department or Authority or Mission or Board, Committee or Government or statutory body, officer or employee shall be bound to comply with such directions.

62. **Making of complaint under section 19 of the Act.-** All the authorities constituted under this Order or their officers authorised by such authorities may make complaint before the court under section 19 of the Act for taking cognizance of any offence under the said section.

63. **Order to be in addition to other laws.-** The provisions of this Order are without prejudice to the discharge of functions by any local authority or other authority or Board or corporation or any person for taking measures for the purposes of effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga and its protection and management and any other law for the time being in force.

Oath Commissioner
A.I.F.
Lucknow
Civil Secretariate

SCHEDULE

[See paragraph 20]

## COMPOSITION OF STATE GANGA COMMITTEES

| Serial No. | Name of the State Ganga Committee | Composition of the State Ganga Committees |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | (Name) State Ganga Protection and Management Committee | (a)Chief Secretary, Government of State of (Name) - Chairperson, ex-officio; |
| | | (b) Principal Secretary, Department of Finance, Government of State of (Name) - Member, ex-officio; |
| | | (c) Principal Secretary, Department of Urban Development and Housing, Government of (Name) - Member, ex-officio; |
| | | (d Principal Secretary, Department of Environment and Forests, Government of State of (Name) - Member, ex-officio |
| | | (e)Principal Secretary, Department of Water Resources, Government of State of (Name) - Member, ex-officio; |
| | | (f) Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, Government of State of (Name) - Member, ex-officio |
| | | (g) Chairman, (Name) State Pollution Control Board - Member, ex-officio; |
| | | (h)Chief Executive Officer of executing agency in the State of (Name) - Member, ex-officio; |
| | | (i)Principal Chief Conservator of Forests, Government of State of (Name) – Member, ex-officio; |
| | | (j) not more than five experts from relevant fields to be nominated by the Government of (Name) - Members |

[F. No. Estt-01/2016-17/111/NMCG]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate
A.I.

HARINDRA KUMAR

Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date 2016.10.08 12:01:30 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2019/ज्येष्ठ 1, 1941

No. 1601] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

### (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

### आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

**का.आ. 1793(अ).**—केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है:-

1. (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) आदेश, 2019 कहा जाएगा।
   (2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 56, उप अनुच्छेद (1) के खंड (बी) में लिखे शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में" के स्थान पर शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

**नोट:** प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का.आ. 3187 (अ), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित किया गया था।



Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

### (National Mission for clean Ganga)

### ORDER

New Delhi, the 21st May, 2019

**S.O.1793(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Order to amend the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, namely: —

1. (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Amendment) Order, 2019.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, in paragraph 56, in sub-paragraph (1), in clause (b), for the words "any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee", the words "any local authority" shall be substituted.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admin.)

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.22 21:15:00 +05'30'

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941

No. 2896] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

## जल शक्ति मंत्रालय

### (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

### (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

### आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3163(अ).**—केंद्रीय सरकार, गंगा नदी में पर्यावरण, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करने का और निरंतर पर्याप्त जल प्रवाह को सुनिश्चित करने का आशय रखती है जिससे गंगा नदी का पुनरुद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक और पुरातन अवस्था में लाया जा सके;

और, जबकि उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों के गठन करने का विनिश्चय किया है।

और, जबकि केंद्रीय सरकार के तत्कालीन जल संशधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 3187 (अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 किया था ;

जबकि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) तीन सौ और पचासवां संशोधन नियम, 2019 बनाया और एक नया मंत्रालय अर्थात " जल शक्ति मंत्रालय सृजित किया जिसको अन्य वातों के साथ-साथ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण से संबंधित उन विषयों का आवंटन किया जिन्हे उक्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाए ;

और जबकि, जल शक्ति मंत्रालय के सृजन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में और उसमें अंतर्विष्ट गंगा नदी ( संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में आवश्यक परिणामी संशोधन करने का विनिश्चय लिया गया है ;



Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और उसमें अंतर्विष्ट गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण के आदेश, 2016 का और संशोधन करती है, अर्थात ;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गंगा नदी ( संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019 है ।

   (2) यह, राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उक्त अधिसूचना में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा।

3. गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), प्रस्तावना के अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4,5,9, 10, 11,19,20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (i) द्वारा दी गयी शक्तियों के प्रयोग करते हुए शब्दों के साथ प्रारम्भ होने वाले है तथा "केंद्रीय सरकार एतदद्वारा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले पैरा में "जल संसाधन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर , "तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश के पैरा 12 में,

   (क) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

   (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

| | | |
|---|---|---|
| क) | प्रधान मंत्री | -अध्यक्ष, पदेन; |
| ख) | केंद्रीय जल शक्ति मंत्री | -उपाध्यक्ष, पदेन; |
| ग) | केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| घ) | केंद्रीय वित्त मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| ङ) | केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| च) | केंद्रीय विद्युत मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| छ) | केंद्रीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| ज) | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| झ) | केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| ञ) | केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री | -सदस्य, पदेन |
| ट) | उपाध्यक्ष नीति आयोग | -सदस्य, पदेन |
| ठ) | मुख्य मंत्री, विहार | -सदस्य, पदेन |
| ड) | मुख्य मंत्री, झारखंड | -सदस्य, पदेन |
| ढ) | मुख्य मंत्री, उत्तराखंड | -सदस्य, पदेन |
| ण) | मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश | -सदस्य, पदेन |
| त) | मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल | -सदस्य, पदेन |
| थ) | सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | -सदस्य, पदेन |
| द) | सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग | -सदस्य, पदेन |
| ध) | सचिव, आवास और शहरी कार्य | -सदस्य, पदेन |
| न) | सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | -सदस्य, पदेन |
| न्) | महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन | -सदस्य सचिव, पदेन |

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

(ख) उप-पैरा (7) में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर , "जल शक्ति मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त आदेश के पैरा 17 में —

(ख) उप-पैरा (2) में, मद (क), (ख) और (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;

| | |
|---|---|
| (क) केंद्रीय जल शक्ति मंत्री | -अध्यक्ष, पदेन; |
| (ख) केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री | -उपाध्यक्ष, पदेन; |
| (ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | सदस्य, पदेन;"; |

(ख) उप-पैरा (5) में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त आदेश के पैरा 35 के उप-पैरा (1) में, मद (ख) और मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;

| | |
|---|---|
| (ख) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | -सदस्य, पदेन; |
| (ग) संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य विभाग | -सदस्य, पदेन; |

7. उक्त आदेश के पैरा 60 में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/0111/एनएमसीजी-खंड-तृतीय]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

**टिप्पण :** मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3187 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1793 (अ), तारीख 21 मई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF JAL SHAKTI**

**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

**ORDER**

New Delhi, the 2nd September, 2019

**S.O. 3163(E).**—Whereas, the Central Government intends to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in river Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the river Ganga to its natural and pristine condition;

And whereas, to achieve the aforesaid objective, the Central Governmentdecided to constitute various authorities at Central, State and District levels;

And whereas, *vide* notification number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th October, 2016, the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016;

And whereas, in exercise of the Powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President made the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fiftieth Amendment Rules, 2019 and created a new Ministry, namely "Ministry of Jal Shakti (Jal Shakti (Mantralaya), *inter alia,*

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariat

allocating the subject matters relating to water resources, river development and Ganga rejuvenation to be administered by the said Ministry;

And whereas, consequent upon the creation of the Ministry of Jal Shakti, it has been decided by the Central Government to make necessary consequential amendments in the said notification and in the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016contained therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and furtheramendments in the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 contained therein, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Second Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said notification, for the heading "MINISTRY OF WATER RESOUCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION", the heading "THE MINISTRY OF JAL SHAKTI" shall be substituted.

3. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said Order), in the preamble, in the paragraph beginning with the words "Now, therefore, in exercise of the powers" and ending with the words "the Central Government hereby", for the words "Ministry of Water Resources", the words "erstwhile Ministry of Water Resource" shall be substituted.

4. In the said Order, in paragraph 12,—

(a) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely: —

"(1) The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Prime Minister | Chairperson, ex-officio; |
| (b) | Union Minister for Jal Shakti | -Vice-Chairperson, ex-officio; |
| (c) | Union Minister for Environment, Forests and Climate Change | -Member, ex-officio; |
| (d) | Union Minister for Finance | -Member, ex-officio; |
| (e) | Union Minister for Housing and Urban Affairs | -Member, ex-officio; |
| (f) | Union Minister for Power | -Member, ex-officio; |
| (g) | Union Minister for Science and Technology | -Member, ex-officio; |
| (h) | Union Minister for Rural Development | -Member, ex-officio; |
| (i) | Union Minister for Shipping | -Member, ex-officio; |
| (j) | Union Minister of State for Tourism | -Member, ex-officio; |
| (k) | Vice Chairman, NITI Aayog | -Member, ex-officio; |
| (l) | Chief Minister, Bihar | -Member, ex-officio; |
| (m) | Chief Minister, Jharkhand | -Member, ex-officio; |
| (n) | Chief Minister, Uttarakhand | -Member, ex-officio; |
| (o) | Chief Minister, Uttar Pradesh | -Member, ex-officio; |
| (p) | Chief Minister, West Bengal | -Member, ex-officio; |
| (q) | Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | -Member ,ex-officio; |
| (r) | Secretary, Department of Drinking Water & Sanitation | -Member, ex-officio; |

| | | |
|---|---|---|
| (s) | Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs | -Member,ex-officio; |
| (t) | Secretary, Department of Agriculture and Farmers' Welfare | -Member,ex-officio; |
| (u) | Director General, National Mission for Clean Ganga | -Member Secretary, ex-officio.". |

(b) in sub-paragraph (7), for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words "the Ministry of Jal Shakti" shall be substituted.

5. In the said Order, in paragraph 17,—

(a) in sub-paragraph (2), for items (a), (b) and (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| | |
|---|---|
| "(a) Union Minister for Jal Shakti | -Chairperson, *ex-officio*; |
| (b) Union Minister of State for Jal Shakti | -Vice-Chairperson, *ex-officio* |
| (c) Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | -Member, *ex-officio*;"; |

(b) in sub-paragraph (5), for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words and brackets "the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)" shall be substituted.

6. In the said Order, in paragraph 35, in sub-paragraph (1), for items (b) and (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

| | |
|---|---|
| "(b) Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | -Member, ex-officio |
| (c) Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs | -Member, ex-officio". |

7. In the said Order, in paragraph 60, for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words "the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted.

[F. No. Estt.01/2016-17/0111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admin.)

**Note :** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 and last amended vide notification number S.O. 1793(E), dated the 21st May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.02

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2019/भाद्र 23, 1941
No. 3007] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2019/BHADRA 23, 1941

**जल शक्ति मंत्रालय**

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3287(अ).**—भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के का. आ. 3163 (अ) तारीख 2 सितंबर 2019 की अधिसूचना में भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ 2 पर 21 लाइन के पश्चात सन्निविष्ट करें -

| | | |
|---|---|---|
| "(घ,क) | केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री | -सदस्य, पदेन;" |

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/0111/एनएमसीजी-खंड-III]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

**MINISTRY OF JAL SHAKTI**

**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 14th September, 2019

**S.O. 3287(E).**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), number S.O. 3163(E) dated the 2nd September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at page 4, after line 28, *insert*—

| | | |
|---|---|---|
| "(da) | Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare | -Member, ex-officio;". |

[F. No. Estt. 01/2016-17/0111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.)

4762 GI/2019
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.14 15:15:43 +05'30'

A.I.F.a 23/11/2025
(अफजल इमाम फारूक)
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate

संख्या-1417/05-27-सिं-2-10(अ)/07

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2010

विषयः- नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1773/9-आ-1-1995, दिनांक 18मई,1995 एवं शासनादेश संख्या-2432/9-आ-1अतिक्रमण/2003(आ.ब.), दिनांक 04अप्रैल,2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी०अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

—2—

-1-D:\Flood Power Act-1951.doc

Oath Commissioner, Lucknow, Civil Secretariat

Scanned with OKEN Scanner

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू०पी०फ्लड एमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट-1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाय।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बल पूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध न कराई जाय।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1417सी(1)/09-27-सिं-2,तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः-

1- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11-सिंचाई अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
12-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

A.I.F. 23/11/2025
(अफजल इमाम फारूक)
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

Scanned with OKEN Scanner

**ANNEXURE R-10**

File No.76-2099/14/2021-2- -Part(3)

अनुस्मारक/अति महत्वपूर्ण

संख्या-548/76-2-2022- 05एन.जी./2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2 — लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषयः- गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तट अथवा उसके बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों को निर्माण मुक्त जोन घोषित करने हेतु कार्ययोजना बनाकर अद्यतन आख्या उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-204/76-2-2022-05एनजी/2020, दिनांक 02.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तट के 100 मीटर के दायरे में अथवा उसके बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों को निर्माण मुक्त जोन घोषित करने की कार्ययोजना बनाकर अद्यतन प्रगति आख्या दिनांक 25.06.2022 तक समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला गंगा समिति,समस्त-जनपद उ0प्र0 से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त अपेक्षित आख्या अभी तक प्रतीक्षित है।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के समादर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-164/2020/2031/20-27-सिं0-4-07(एन.जी.टी.)/16 टी.सी., दिनांक 04.09.2020 द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लागीटयूड एवं लैटिटयूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये गये है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतः इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बाढग्रस्त मैदान को निर्माण मुक्त जोन की कार्ययोजना बनाकर नियमित रूप से समीक्षा व अनुश्रवण की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट की सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-548(1)/26-2-2022-05एन.जी./2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- ।

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।.
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,राजस्व विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अम्बरीष कुमार सिंह)

उप सचिव।

ined by राजेश कुमार

te 26.09.2022 12:30:30

Scanned with

A.I.F. 23/11/2025

( अफजल इमाम फारूक )
शपथ- आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन।

Oath Commissioner ★ Lucknow ★ Civil Secretariat

**ANNEXURE R-11**

संलग्नक-11

180

तत्काल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग– 5, लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–2, लखनऊ।

संख्या– जी–623 / 5–(418–NGTरिट) / 2025 दिनांक 20.11.2025

विषय:– **ओ0ए0 संख्या 418 / 2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के राजस्व अनुभाग–2 के पत्र संख्या–I / 1142072 / 2025 / एक–2–2025 दिनांक 13.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा **ओ0ए0 संख्या 418 / 2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया** व अन्य वाद में प्रार्थित अनुतोष के बिंदु संख्या–5 के संबंध में परिषद से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. सूच्य है कि ग्राम पंचायत प्रबंधाधीन कृषि भूमि आवंटन के संबंध में उ0प्र0राजस्व संहिता 2006(यथासंशोधित) की धारा 125 एवं 126 के अंतर्गत निम्नवत् व्यवस्था विहित है–

**<u>धारा 125–ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा</u>**

ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश–भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि का पट्टा उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है :–

(क) धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी, धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिघर ;

(ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा 77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी, जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुयी समझी जाय।

**<u>धारा 126–भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम</u>**–(1) धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबन्धक समिति, निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी :–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता–पिता, जो ग्राम सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हों;

(ख) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो;

(ग) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो;

(घ) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक;

(ङ) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो,

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;
(छ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;
(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम–सभा में निवास न करता हो, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26, सन् 1947) की धारा 42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

**स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए:–**

(एक) "आवंटन" में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवंटन, सम्मिलित है;

(दो) "निरसित";

(तीन) किसी व्यक्ति को "भूमिहीन" समझा जाएगा, यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों, और जहां आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहां उसके माता–पिता के पास आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो;

(चार) पद "स्वतन्त्रता सेनानी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो;

(पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छः) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूमि को मिलाकर, जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी की रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेअर से अधिक न हो।

3– अवगत कराना है कि **ओ0ए0 संख्या 418/2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य** वाद में प्रार्थित अनुतोष के बिंदु संख्या–5 किये गये उल्लेख के अनुसार रिवर लैंड के कृषि आवंटन से संबंधित कोई प्राविधान उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006(यथासंशोधित) में विहित नहीं है और न ही इनके आवंटन के संबंध में कोई कार्रवाई राजस्व विभाग/परिषद स्तर पर की जाती है।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0राजस्व संहिता–2006(यथासंशोधित) की धारा–77(1) से आच्छादित भूमियों पर भूमिधरी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं।ऐसी भूमियों पर किया गया आवंटन या पट्टा विधिसंगत नहीं होता है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये शासन स्तर से यथावश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

भवदीय,

20.11.25

( सूरज कुमार यादव )
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एव जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

में इस रूप में दर्ज था :

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और पाँच वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह ग्राम पंचायत या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जाएगा।

77 कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे—(1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा :—

(क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि;

(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिये किया जाता हो;

(ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा–कदा खेती के लिये किया जाता हो;

(घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू–भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौंगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो;

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

(च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हो;

(छ) रातेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी या सौंपी समझी गयी हो;

(ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो;

(झ) भूमि जिस पर पोखरे, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो; और

(ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

**स्पष्टीकरण**–खण्ड (ज) में पद "सार्वजनिक प्रयोजन" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिये पृथगरक्षित हो;

(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो;

(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित और धृत हो;

(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29–ग में निर्दिष्ट हो, या

(पांच) भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये आरक्षित हो।

(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किये गये भू–खण्ड या भू–खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी:

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा की उपधारा (2) में पद 'लोक प्रयोजन' का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ,

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-402/1095/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE), समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

/2025-राजस्व अनुभाग-2-revenue Department

I/1142072/2025

G-673

कोर्ट केस

संख्या-I/1142072/2025/एक-2-2025

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः **13-11-2025**

विषयः- ओ०ए० संख्या-418/2025 प्रियांक भारती बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित वाद में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त वाद में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को Respondent No.5 प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को Respondent No.6 तथा प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन को Respondent No. 9 बनाया गया है तथा सिंचाई विभाग के स्तर से मुख्य सचिव महोदय की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना है, जिसमें राजस्व विभाग से सम्बन्धित उक्त बिन्दु पर की गयी कार्यवाही का समावेश किया जाना अपेक्षित है।

3- प्रश्नगत वाद में प्रार्थित अनुतोष के बिन्दु संख्या-5 का संबंध राजस्व विभाग से होना इंगित किया गया है, जो निम्नवत् हैः-

5. Cancellation of Allotments on River land: That any allotment, lease, or transfer of riverbed or floodplain land, as recorded in the revenue department's records, be immediately cancelled as such allotments are void ab initio being contrary to environmental law and the Public Trust Doctrine.

4- अतः प्रश्नगत वाद में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 तथा सम्बन्धित रिट की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बिन्दु संख्या-5 पर दो दिवसों में आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by RAJA RAM DWIVEDI
Date: 13-11-2025 14:16:53

(राजाराम द्विवेदी)
विशेष सचिव।



File No. I-2/SOL/2025-राजस्व अनुभाग-2-revenue Department (Computer No. 1984456)
Generated from eOffice by अतुल कुमार, RO(AK)-REVENUE, समीक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग on 18/11/2025 12:17 PM

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एव जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–703 / एक–2–2014–रा–2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक 9 जून, 2014

विषयः– प्रदेश में ग्राम सभा / सार्वजनिक भूमि पर से अनाधिकृत कब्जा / अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ग्राम सभाओं की भूमियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा / अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न शिकायती पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हो रहे है। इन भूमियों पर किये गये अवैध कब्जों एवं अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए समय–समय पर निर्देश शासन स्तर से निर्गत किये जाते रहे है। ग्राम सभा में निहित भूमियों यथा तालाब, पोखर, चकरोड, नाली, व अन्य भूमियों पर से अवैध कब्जे / अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की समस्त ग्राम सभाओं में स्थित ग्राम सभा भूमियों का सर्वेक्षण कराकर ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जों / अतिक्रमण को चिन्हित कर लें तथा उन्हें अतिक्रमण / कब्जा मुक्त कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2– उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–122(बी) में ऐसी सम्पत्ति जो ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, की सुरक्षा के समुचित प्राविधान है। उक्त धारा–122बी(1) में प्राविधानित है कि जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित किसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है तो उसे सहायक कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी की सूचना पर अथवा धारा–122 बी(2) के अन्तर्गत स्वमेव संज्ञान लेकर अवैध कब्जा हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम सभा / स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या–1132(सी0 / 2011 विशेष अनुज्ञा याचिका (सी0) 3109 / 2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका (सी0)19869 / 2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में पारित निर्णय दिनांक 28–1–2011 एवं अपील (सी0) 4787 / 2011, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25–7–2001 एवं रिट याचिका संख्या–6472(एम / बी) / 2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0



File No. 22-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–252रिट/1–2–2012–रा–2 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन जनपदों में ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराये तथा कृत कार्यवाही की सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर राजस्व परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व परिषद प्रदेश की संहत/संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4– कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

9/6/2014

9.6.14

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

Oath Commissioner, Civil Secretariate, Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एव जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एव जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

(1)

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1299 / एक–2–2014–रा–2

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0।

(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 23 सितम्बर, 2014

विषय:– ग्राम सभा की भूमि यथा तालाब/पोखर, खलिहान, पशुचर इत्यादि पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनहित याचिका सं0 Misc. 7705 of 2014 Ram Kripal [P.I.L.] Vs. State of U.P. Thru. Secy. Revenue Deptt. & 4 Ors. में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:–

"The petitioner has moved these proceedings in public interest, complaining that though an order has been passed under Section 122-B of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of an encroachment on public utility land comprised in Gata No.704 Ka, area 0.3740 hectares, situated at Village Shahpur, Pargana Patti, Tehsil Raniganj, District Pratapgarh, no effective steps have been taken for enforcing the order which was passed on 31 March 2011.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिचाई एव जल ससाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिचाई एव जल ससाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

A self contained procedure is provided under Rule 115-E of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952 for the enforcement of an order of eviction and for the recovery of any amount which is directed under Section 122-B of the Act. We notice that the Court has been repeatedly moved in proceedings under Article 226 of the Constitution complaining of the inaction of the authorities concerned to initiate steps under Section 122-B of the Act or, as the case may be, on the failure of the authorities to enforce the order once it has passed. This is nothing but a dereliction of duties on the part of the public authorities. Citizens are compelled to move the Court because public authorities turn a blind eye to the encroachments on public utility lands. Even where orders are passed, they are not enforced effectively.

Hence, we direct the Principal Secretary (Revenue) of the State of U.P. to take stock of the situation and to issue peremptory and strict directions in that regard so as to obviate the Court being required to entertain a large number of litigation which should otherwise not arise if the public authorities do their duties effectively and faithfully."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में प्रेक्षण (observation) व्यक्त किया गया है कि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा –122 बी के अंतर्गत बनाये गये उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 115 ई में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण / अनाधिकृत कब्जे की बेदखली एवं क्षतिपूर्ति को वसूली की प्रकिया निर्धारित है परन्तु लोक प्राधिकारी द्वारा इन पर कार्यवाही करने एवं पारित आदेशों के कियान्वयन की विफलता एवं अनदेखी के कारण नागरिकों को न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होना पड़ता है।

शासन एवं राजस्व परिषद द्वारा समय–समय पर ग्राम सभा की भूमियों तथा चकरोड, नाली, पशुचर, खलिहान, कब्रिस्तान एवं तालाव/पोखर पर अतिकमण/ अवैध कब्जों को हटाने एवं क्षतिपूर्ति वसूली किये जाने के संबंध में शासनादेश/परिषदादेश द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

Oath Commissioner A.I. Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

शासनादेश संख्या–3135/1–2–2001–रा–2 दिनांक 08–10–2001 द्वारा सिविल अपील संख्या–4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

परिषदादेश संख्या–2104/2174/जी–5–1 डी/07 दिनांक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–38910 वर्ष 2003 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डिप्टी कलेक्टर कन्सालीडेशन, देवरिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2005 के अनुपालन में तालाबों / पोखरों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या–703/एक–2–2014–रा–2 दिनांक 09–06–2014 एवं परिषदादेश संख्या आर 6198/जी–5–19–आर (रिट)/12 दिनांक 09 जून, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सिविल अपील संख्या–1132 (सी) 19869/2011 विशेष अनुज्ञा याचिका (सी) 19869/2010 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2011, अपील संख्या(सी) 4787/2011 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या–6412 (एमबी)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक 28.05.2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में ग्रामसभाओं की भूमि यथा तालाब/पोखर, चारागाह व कब्रिस्तान इत्यादि पर अवैध कब्जों/अतिकमण हटाने के संबंध में अनुपालन हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

रिट याचिका संख्या–6412 (एम.बी.)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक 28.05.2014 में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:–

"1. The District Collectors and other revenue authorities of the district shall ensure that the statutory duty cast on the land management

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

committee and the local authority under section 122-B (1) of U.P.Z.A & L.R Act and Rule 115-C (1) and (2) of the U.P.Z.A & L.R Rules is attended to in all seriousness.

2. The District Collectors shall ensure that Lekhpal of the area concerned attends his duty cast on him under sub-rule (3) of Rule 115-C of U.P.Z.A & L.R Rules, inasmuch as, the Lekhpal will report to the Collector through Tehsildar all cases of wrongful occupation of damage to; or misappropriation of the wrongful occupation of the gaon sabha property as soon as they come to his notice and in any case after the conclusion of Kharif and Rabi Partal every year.

3. The District Collectors shall ensure that Tehsildar of the area concerned shall satisfy himself in the month of May every year that each Lekhpal has submitted reports as envisaged under sub-rule (3) of Rule 115-C of U.P.Z.A & L.R Rules.

4. The District Collectors are also directed to take action in accordance with the provision in Rule 115-D in case of failure on the part of Land Management Committee or the local authority, as the case may be.

5. The Assistant Collector, within whose jurisdiction any illegal occupation or damage or misappropriation of gaon sabha land is reported, shall immediately institute the proceeding and conclude the same in accordance with law. The Assistant Collector (who in accordance with para 315 of Revenue Manual is the Tehsildar of the area concerned) shall not only institute the proceedings on the information recieved/ application made under Section 122-B (1) of U.P.Z.A & L.R Act by Land Management Committee or the local authority concerned but will also act on an application moved otherwise by any person alleging therein illegal occupation on and damage caused to gaon sabha land and will conclude the same in accordance with law with expedition.

6. The District Collectors are also directed to ensure that once the order for eviction or payment of compensation as damages is passed, the same is executed at the earliest, in appropriate cases by using such force as may be necessary. Realization of the amount of compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation of gaon sabha land

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

shall also be made from the person concerned as arrears of land revenue expeditiously.

7. So far as the illegal possession of the housing sites allotted to the individuals is concerned, we may prefer to the provision contained in section 122-D, which provides a complete procedure for restoration of possession of land allotted to any person for the purposes of building of house and on such land any person other than the allottee is in occupation. Under section 122-D, as well, the Assistant Collector has been empowered to take action for the restoration of the possession to the allottee of the land allotted for housing purpose, if the same is in illegal occupation of some other person.

8. Sub-section (2) of Section 122-D of U.P.Z.A & L.R Act provides that the person having been once evicted under Section 122-D (1) is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees. Thus, in case any person re-occupies the land allotted as housing site, after once being evicted, he can be proceeded against by launching criminal prosecution under section 122-D (2) of the Act. The District Collectors shall ensure that besides eviction proceedings under Section 122-D, criminal proceedings are also instituted against such persons."

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2012 के अनुपालन में प्रदेश में ग्राम सभाओं के तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 252–रिट/1–2–2012–रा–2 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त एवं प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उपर्लिखित एवं समय–समय पर प्रसारित अन्य सभी शासनादेशों/परिषदादेशों में दिए गए निर्देशों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–7705/2014 राम कृपाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

ग्राम सभाओं की भूमियों यथा—तालाब/पोखर, पशुचर, खलिहान, कब्रिस्तान इत्यादि पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जों को हटाने हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा —122 बी एवं उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली 1952 के नियम 115 C एवं D डी में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

जिन प्रकरणों में उक्त धारा/नियम के अंतर्गत बेदखली एवं हर्जाना वसूली के आदेश पारित हो चुके हैं, उनका कियान्वयन नियम 115 ई में दी गयी प्रकिया के अनुसार तत्परता से सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन जनपदों में ग्राम सभा/सार्वजनिक भूमि पर से अवैध क्ब्जे/अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही की प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही की सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर राजस्व परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व परिषद प्रदेश की संहत/संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

ग्राम सभा की उपरोक्त वर्णित भूमि पर अतिक्रमण/अवैध कब्जों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही के वादों के निस्तारण की सघन समीक्षा जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा मासिक बैठक में की जाय तथा जो अधिकारी इसमें शिथिलता बरत रहे हों उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( किशन सिंह अटोरिया )
प्रमुख सचिव

23.9.14

Oath Commissioner
Civil Secretariat
Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–24-0 /एक–2–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2020

विषय – सन् 1952 (फसली वर्ष 1359) की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/खलिहान/चारागाह आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उसको मूलस्वरूप प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1299/एक–2–2014–रा–2, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में प्रदेश के तालाब आदि की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने एवं उसे मूलस्वरूप में लाने हेतु निर्देश दिये गये है। इस निर्देश के अनुसार तालाब आदि की अतिकमित भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की अपेक्षित कार्यवाही न हो पाने के कारण शासन स्तर पर विपुल मात्रा में शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में व्यापक मात्रा में जनहित याचिकायें दायर हो रही है, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थिति पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए आरक्षित श्रेणी की सार्वजनिक भूमियों को अवैध कब्जा मुक्त कराने एवं दोषी लोगों के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निरन्तर निर्देश दिये जा रहे है, किन्तु जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे की शिकायतें मिलने के साथ मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी योजित हो रही हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमियों पर अवैध कब्जे बने रहने से एक ओर जहां आम जनता को परेशानी होती है वहीं दूसरी ओर शासन की भी छवि धूमिल होती है।

2– अतः वर्णित परिस्थितियों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसली वर्ष 1359 (सन 1952) की प्रास्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जो को तत्काल हटवाकर उन्हें मूलस्वरूप में लाया जाये। तालाब आदि को मनरेगा के तहत खुदवाकर उसे उसका मूल स्वरूप प्रदान करते हुए जनोपयोगी बनाया जाय। यदि तालाब/खलिहान/चारागाह की सुरक्षित भूमि पर त्रुटिवश सरकारी स्कूल एवं अस्पताल आदि बन गये है तो उसके सम्बन्ध में विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0–19869/2010 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28–01–2011 को पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराकर उसके विनियमन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाय।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त चारागाह आदि की सुरक्षा के लिए समेकित ग्राम निधि का उपयोग कर उसे सुरक्षित एवं यथा सम्भव पशुओं के चरने योग्य बनाया जाय। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि चारागाह की भूमि पर किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का कोई पक्का निर्माण न किया जाय।

Oath Commission A.I. Lucknow Civil Secretariat

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पी0आई0एल0 सं0-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व 7 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

1. the Collectors of each District of the State shall entrust the the Additional District Magistrate (Finance & Revenue) to make a list of ponds which are recorded in the revenue records in the year 1951-52. He shall also prepare a list of the ponds which are under the encroachment or in respect of which the lease has been granted;
2. we charge the Additional District Magistrates (Finance & Revenue) of each District of the State to comply these directions;
3. the Collectors shall proceed to cancel the lease of the ponds and restore the ponds in accordance with law and directions issued by the Supreme Court. The Collectors shall send a progress report in every six month to the Committee constituted by the Chief Secretary;

5- मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में अपने से संबन्धित जनपदों में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। जनहित याचिका सं0-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे है।

6- प्रदेश में तालाबों पर हुए अवैध कब्जे के कारण काफी संख्या में मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिकायें योजित हो रही हैं, अतः राजस्व परिषद के माध्यम से निम्नवत् प्रारूप पर अवैध अतिक्रमण हटवाने की तहसीलवार सूचना 15 दिन के भीतर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय :-

| सन 1952, (फसली 1359) में राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों की संख्या | अतिक्रमण मुक्त तालाबों की संख्या | अतिक्रमण मुक्त तालाबों का रकबा (कालम-2 के सापेक्ष) | अतिक्रमित शेष तालाबों की संख्या | अतिक्रमित शेष तालाबों का रकबा (कालम-4 के सापेक्ष) | कब्जामुक्ति के बाद खुदवाये गये तालाबों की संख्या | कब्जा मुक्ति के बाद खुदवाये गये तालाबों का रकबा (कालम-6 के सापेक्ष) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

7-समय अवैध अतिक्रमण न हटवाने की दशा में जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीया,
( रेणुका कुमार )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/एक-2-2020 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्तवत सूचना प्राप्त कर समेकित एवं सुपरीक्षित सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि अपने स्तर पर जनपदवार समीक्षा कर वांछित सूचना राजस्व परिषद को भिजवाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
( संजय गोयल )
सचिव।

Oath Commissioner Civil Court Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025 ... अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by ... RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

संख्या–1674/एक–2–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 31 दिसम्बर, 2020

विषय :ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा–खलिहान/तालाब/चारागाह आदि से अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या–12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05–01–2015 एवं शासनादेश सं0–402/एक–2–2017–1(सामान्य)/2017 दिनांक 01.05.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत परिषदादेश संख्या–आर–1082/जी–05–01अति/2017, दिनांक 08.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब, खलिहान, चारागाह आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाकर उसको मूलस्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 में उल्लिखित राजकीय भूमियों जिसमें चारागाह व अन्य आरक्षित भूमि शामिल हैं पर अवैध अतिक्रमण हटाने के कतिपय प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा बेदखली वादों में अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये हैं, परन्तु मौके पर अतिक्रमणकर्ता के अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है। अतिक्रमणकर्ता द्वारा सहायक कलेक्टर से ऊपर के न्यायालय में वाद दायर कर ऐसे वाद को कई वर्षों तक लम्बित रखकर उसी वाद के आधार पर अवैध अतिक्रमण को बनाये रखा जाता हैं, जबकि अवैध अतिक्रमण को मौके पर न हटाने के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं रहता है। यह स्थिति अत्यन्त गंभीर है। मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न आदेशों में तालाब, चारागाह व अन्य ग्राम सभा की सुरक्षित भूमियों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किये गये है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद में इस प्रकार के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए परिषदादेश संख्या–आर–1082/जी–05–01अति/2017, दिनांक 08.05.2017 के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। सहायक कलेक्टर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 67 के अन्तर्गत वादों में पारित बेदखली के आदेशों के अनुसार मौके पर वास्तविक रूप से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल किया जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पुनः उक्त भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण न होने पाये। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वाद में स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है तो मात्र मा0 न्यायालय में वाद लम्बित रखकर अतिक्रमणकर्ता को अवैध अतिक्रमण का अनुचित लाभ प्राप्त न होने पाये। यदि किसी प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है तो उसमें प्रभावी पैरवी कराकर समयबद्ध रूप से उक्त वाद में स्थगनादेश खारिज कराकर मौके से अतिक्रमण हटाया जाय।

3– उक्त के अतिरिक्त जनहित याचिका संख्या–12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05–01–2015 में मा0 न्यायालय द्वारा तत्समय प्रभावी उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में विहित व्यवस्था के आधार पर ग्राम सभा की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं। सम्प्रति उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के स्थान पर उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 प्रभावी है। अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–12917/2014 श्रीमती अख्तरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2015 के अनुपालन में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में विहित व्यवस्थानुसार ग्राम सभा की



Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

भूमियों को अतिकमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी तत्काल प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. जिलाधिकारी एवं जिले के अन्य राजस्व अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि प्रबन्धन समिति और स्थानीय अधिकारीगण उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 66 व 67 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन गम्भीरतापूर्वक करें।
2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 के तहत सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल तहसीलदार के माध्यम से ग्राम सभा की सम्पत्ति पर गलत तरीके से अतिक्रमण/नुकसान के सभी मामलों को प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी फसल के पड़ताल के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. तहसीलदार प्रत्येक वर्ष मई माह में यह सुनिश्चित करेंगे कि उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 के तहत लेखपाल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. जिलाधिकारी द्वारा भूमि प्रबन्धन समिति या स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निवर्हन न किये जाने की स्थिति में उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 66 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करें।
5. स्थानीय अधिकारी द्वारा गांव सभा की भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे या क्षति या धांधली की सूचना मिलने पर सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) द्वारा अपने क्षेत्र में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत तुरन्त अग्रिम कार्यवाही की जाय। स्थानीय अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत/सूचना मिलने पर सहायक कलेक्टर (तहसीलदार) अभियान चलाकर उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 67 के तहत कार्यवाही करें।
6. गांव सभा की भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे या क्षति या धांधली के सम्बन्ध में दोषी के विरूद्ध पारित क्षतिपूर्ति या मुआवजे के भुगतान की वसूली अतिशीघ्र करायी जाय और आवश्यकतानुसार वसूली के लिए दबाव भी बनाया जाय। फिर भी यदि वसूली नहीं हो पाती है तो सम्बन्धित से क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जाय।
7. किसी व्यक्ति को मकान बनाने के प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की स्थिति में सहायक कलेक्टर द्वारा धारा–67 में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आंवटी को कब्जा दिलाया जाय।
8. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 67 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बेदखल किये जाने के पश्चात विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसे भूमि पर या उसके किसी भाग पर पुनः अवैध कब्जा करता है तो वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो 2 वर्ष तक हो सकती है, किन्तु 3 माह से कम नहीं होगी। ऐसे जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जायेगा जो 3 हजार रूपये तक हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू करेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव RO (MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

संख्या–1285 / एक–2–2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2023

विषयः– ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने एवं राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रयोजन के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिकमण के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के परिशीलन से पाया गया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अवैध अतिकमण से मुक्त कराये जाने हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया जा रहा है तथा अतिकमणकर्ताओं के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67 में दी गयी व्यवस्था एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम–66 व 67 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिकमण पाये जाने की दशा में अपेक्षित कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। साथ ही, शासनादेश संख्या–402 / एक–2–2017–1(सामान्य) / 2017, दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए राजस्व ग्रामों में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अतिकमण मुक्त कराये जाने एवं भू–माफियाओं के विरूद्ध सघन अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित ग्राम सभा की भूमियों का उपयोग राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रयोजन के अनुसार न करते हुए अन्य प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, जो कि उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

2– इसी कम में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष योजित जनहित याचिका संख्या–415 / 2023 सदाराम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.05.2023 का प्रभावी अंश निम्नांकित है :–

Since the aforesaid direction has been issued for the entire State i.e. State of U.P., therefore, the Principal Secretary, Department of Revenue, Civil Secretariat, U.P., Lucknow shall issue necessary directions/ directives/ circular to ensure that the public utility land of Gaon Sabha is free from encroachment and such public utility land be utilized only for the purpose it has been recorded in the revenue record.

3– अतः प्रस्तर–2 में उल्लिखित मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.05.2023 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सभा की सावर्जनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा पाये जाने पर निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करते हुए अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राजस्व अभिलेखों में अंकित सार्वजनिक उपयोग की भूमियों का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाय जिसके लिए राजस्व अभिलेखों में ऐसी भूमि दर्ज है।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

( सुधीर गर्ग )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1285(1) / एक–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

( राम रतन )
विशेष सचिव।

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊः
30/04/2024

विषयः उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि ग्राम समाज की भूमि (ऊसर, बंजर, परती इत्यादि) पर अवैध कब्जे / अतिक्रमण से संबंधित जन शिकायतों पर कार्यवाही उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-66 व 67 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, परन्तु कतिपय जनपदों से ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं कि जिनमें ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा / अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-6658(सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2022 पारित करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे / अतिक्रमण को हटाने के संबंध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67, 67(1) व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही में पालन की जाने वाले प्रक्रियाओं के

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(ASY)/SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत है:

74. Thus, in my view, following guidelines be adopted as procedure to be applied to proceedings under Sections 67,67A and 26 of the U.P. Revenue Code. It is all aimed at ensuring transparency in the procedure, judiciousness in approach by the authorities and to thwart every complaint made with ulterior and oblique motive to dislodge a long settled possession and causing of unnecessary harassment to an innocent villager:

(i) In case of complaint made on RC From 19, the official making it shall ensure that proper survey is done in the light of observations made in this judgment; the land, occupation of which has stood identified to be unauthorized is in exact measurement and so also shown in the survey map prepared on scale, as per the Land Revenue Survey Regulations, 1978; the exact assessment of damages on the basis of circle rate with details of calculation made on that basis.

(ii) In a case of suo-motu action, before issuing RC Form 20, the authority will ensure that proper report upon RC Form 19 is submitted as per para (i) above on parameters of sub rule 1 Rule 67.

(iii) RC Form 20 must be accompanied by a copy of report and spot survey submitted along with RC Form 19 to the person against whom proceedings have been instituted, or even otherwise submitted in case of suo motu action vide para (ii) above.

(iv) Upon reply being filed to the notice, if authority finds that spot survey/explanation report is not satisfactory, it may order for a fresh spot report to be prepared in presence of the party aggrieved.

(v) In the event, objection includes a plea of statutory protection/ benefit under Section 67-A, the authority should invite the objection from the Gaon Sabha, and will decide the same along with the matter under Section 67, without requiring aggrieved party to move separate application under Section 67-A.

(vi) If the report is admitted on record, may be in case no objection is filed, the authority must ensure presence of the person preparing the report before it, to prove the report by his statement, with a right to aggrieved party to cross question him.

(vii) The authority must endeavor to decide the case within time frame provided under the relevant Act and the Rules and should desist from granting adjournment to the parties in a routine manner.

(viii) In case of appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, preferred/ filed within the time prescribed along with interim relief application, the interim relief application as far as possible should be decided within two weeks' time with prior notice to other side and where plea of settlement under Section 67-A has been taken before Assistant Collector-1st Class, and damages to the tune of 25 % at-least of the total damages are paid and an affidavit of undertaking is filed for not raising any further construction upon the land in question, the authorities including civil administration should avoid taking any coercive measure pursuant to the order appealed against until the disposal of interim relief application. The Appellate authority may also consider granting interim relief on the very first day of filing of appeal with stay application if above conditions are fulfilled by the appellant.

(ix) The appellate authority should as far as possible decide the appeal within a period of two months of its presentation.

3. इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-6430(सी) / 2023 शत्रोहन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आदेश पारित करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते समय रिट याचिका संख्या-6658(सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :

(क) आर0सी0 फार्म-19 पर की गयी शिकायत के मामले में संबंधित अधिकारी यह

Oath Commissioner K.I.A. Lucknow Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by ... RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

सुनिश्चित करेगा कि जिस भूमि पर अनाधिकृत भूमि की पहचान की गयी है, का समुचित सर्वेक्षण कराते हुए सटीक पैमाइश की जाय एवं भू-राजस्व सर्वेक्षण विनियम 1978 के अनुसार पैमाने में तैयार किया गया सर्वेक्षण मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय । साथ ही सर्किल रेट के आधार पर क्षति की गणना कराते हुए क्षति का सटीक आंकलन भी किया जाय ।

(ख) अन्तरिम राहत के मामले में, यदि अपील उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 67(5) में निर्धारित समय के भीतर की गयी हो, विपक्षी को पूर्व सूचना देते हुए यथासंभव दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाय और जहाँ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा-67-ए के तहत समझौते की दलील दी गयी है एवं कुल क्षति का 25 प्रतिशत हर्जाना भुगतान करते हुए संबंधित भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया गया है, तो अन्तरिम राहत के आवेदन पर निर्णय होने तक कोई कार्यवाही न की जाय । अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तो को पूरा किये जाने की दशा में अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आदेश के साथ अपील दायर करने के दिन ही अन्तरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है ।

(ग) ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे / अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-66 व 67 में विहित प्रक्रिया, राजस्व परिषद के पत्रांक आर-1082/जी0-5 01 अति0/2017, दिनांक 08 मई, 2017 के पैरा-7.1 से 7.8 तक में दिये गये दिशा-निर्देशों सहित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

Digitally Signed by Guru Prasad Porala
Date: 30-04-2024 10:31:36
Reason: Approved

( पी0 गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव ।

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO(SAY)-SEL, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
विशेष सचिव ।

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow

अतिमहत्वपूर्ण
संख्या:रिट-766/एक-2-2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2025

विषयः-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रामसमाज/सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण से सम्बन्धित जनशिकायतों पर कार्यवाही उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-66 व 67 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, परन्तु कतिपय जनपदों से ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे है, जिनमें ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-43407/2024 अंजली यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के प्रमावी अंश निम्नवत् हैः-

10. Large number of orders are coming before this Court everyday where the authorities have passed the orders in the proceedings under Section 67 of U.P. Land Revenue Code, 2006 without complying with the provisions contained in the aforesaid Section.

11. In this view of the matter, the Court is of the opinion that necessary directions should be issued by the State Government to the Revenue Authorities so that they will not repeat the same mistake in future.

प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना उक्त धारा के अन्तर्गत बेदखली के आदेश पारित किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा धारा-67 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराये जाने हेतु समस्त राजस्व प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

3- इसी तारतम्य में रिट याचिका संख्या-6430 (सी)/2023 शत्रोहन बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आदेश पारित करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते समय रिट याचिका संख्या-6658 (सी)/2022 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश संख्या-आई0/552648/एक-2-2024, दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67, 67(1) व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही में पालन की जाने वाले प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, जो कि निम्नवत है-

74. Thus, in my view, following guidelines be adopted as procedure to be applied to proceedings under Sections 67,67A and 26 of the U.P. Revenue Code. It is all aimed at ensuring



Oath Commissioner Lucknow

File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-8-Irrigation and Water Resources Department-Part(1) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह, सर्वेक्षक RO-II(MS)-SE), समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

transparency in the procedure, judiciousness in approach by the authorities and to thwart every complaint made with ulterior and oblique motive to dislodge a long settled possession and causing of unnecessary harassment to an innocent villager:

(i) In case of complaint made on RC From 19, the official making it shall ensure that proper survey is doné in the light of observations made in this judgment, the land, occupation of which has stood identified to be unauthorized is in exact measurement and so also shown in the survey map prepared on scale, as per the Land Revenue Survey Regulations, 1978; the exact assessment of damages on the basis of circle rate with details of calculation made on that basis.

(ii) In a case of suo-motu action, before issuing RC Form 20, the authority will ensure that proper report upon RC Form 19 is submitted as per para (i) above on parameters of sub rule 1 Rule 67.

(iii) RC Form 20 must be accompanied by a copy of report and spot survey submitted along with RC Form 19 to the person against whom proceedings have been instituted, or even otherwise submitted in case of suo motu action vide para (ii) above.

(iv) Upon reply being filed to the notice, if authority finds that spot survey/explanation report is not satisfactory, it may order for a fresh spot report to be prepared in presence of the party aggrieved.

(v) In the event, objection includes a plea of statutory protection/benefit under Section 67-A, the authority should invite the objection from the Gaon Sabha, and will decide the same along with the matter under Section 67, without requiring aggrieved party to move separate application under Section 67-A.

(vi) If the report is admitted on record, may be in case no objection is filed, the authority must ensure presence of the person preparing the report before it, to prove the report by his statement, with a right to aggrieved party to cross question him.

(vii) The authority must endeavor to decide the case within time frame provided under the relevant Act and the Rules and should desist from granting adjournment to the parties in a routine manner.

(viii) In case of appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, preferred/ filed within the time prescribed along with interim relief application, the interim relief application as far as possible should be decided within two weeks' time with prior notice to other side and where plea of settlement under Section 67-A has been taken before Assistant Collector-1st Class, and damages to the tune of 25% at-least of the total damages are paid and an affidavit of undertaking is filed for not raising any further construction upon the land in question, the authorities including civil administration should avoid taking any coercive measure pursuant to the order appealed against until the disposal of interim relief application. The Appellate authority may also consider granting interim relief on the very first day of filing of appeal with stay application if above conditions are fulfilled by the appellant.

(ix) The appellate authority should as far as possible decide the appeal within a period of two months of its presentation.

उक्त के साथ ही शासनादेश दिनांक 30.04.2024 के प्रस्तर–3 में यह भी निर्देशित किया गया है कि:–

(क) आर०सी० फार्म–19 पर की गयी शिकायत के मामले में संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भूमि पर अनधिकृत कब्जे की पहचान की गयी है, का समुचित सर्वेक्षण कराते हुए सटीक पैमाइश की जाय एवं भू–राजस्व सर्वेक्षण विनियम 1978 के अनुसार पैमाने में तैयार किया गया सर्वेक्षण मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय। साथ ही सर्किल रेट के आधार पर क्षति की गणना करते हुए क्षति का सटीक आंकलन भी किया जाय।



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मंजुनाथ सिंह बाट्टी, RO-(MSY)-SE), समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

(ख) अन्तरिम राहत के मामले में, यदि अपील उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 67(5) में निर्धारित समय के भीतर की गयी हो, विपक्षी को पूर्व सूचना देते हुए यथासंभव दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाय और जहाँ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा–67–ए के तहत समझौते की दलील दी गयी है एवं कुल क्षति का 25 प्रतिशत हर्जाना भुगतान करते हुए संबंधित भूमि पर आगे कोई निर्माण न करने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया गया है, तो अन्तरिम राहत के आवेदन पर निर्णय होने तक कोई कार्यवाही न की जाय। अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूरा किये जाने की दशा में अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आदेश के साथ अपील दायर करने के दिन ही अन्तरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है।

(ग) ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण के प्रत्येक मामले में उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा–67 व उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम–66 व 67 में विहित प्राविधान/प्रक्रिया, राजस्व परिषद के पत्रांक आर–1082/जी0–5 01 अति0/2017, दिनांक 08 मई, 2017 के पैरा–7.1 से 7.8 तक में दिये गये दिशा–निर्देशों सहित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–12–2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5– अतः रिट याचिका संख्या–43407/2024 अंजली यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्याः रिट–1561/एक–2–2023, दिनांक 19.07.2023, शासनादेश संख्याः आई0/552648/एक–2–2024, दिनांक 30.04.2024, उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–67 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–66 व 67 में दी गयी व्यवस्था का शत–प्रतिशत अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0 गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(राम रतन)
विशेष सचिव।

Oath Commissioner Civil Secretariate Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEI, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-2
संख्या-142/एक-2-2020-ग(रिट)/2020
लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2020

## कार्यालय-आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 सं0-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व 7 अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 के कियात्मक अंश निम्नवत् है :-

1- The Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh shall constitute a Committee in consultation with the Chairman, Board of Revenue, which shall monitor the compliance of the judgements of the Supreme Court and this Court. The said Committee shall also invite Justice Ram Surat Ram (Maurya) (Former Judge of this Court) as a special invitee in its meeting. Justice Maurya shall be paid Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) remuneration for attending each such meeting in addition to his conveyance and other charges;

2- the Collectors of each District of the State shall entrust the the Additional District Magistrate (Finance & Revenue) to make a list of ponds which are recorded in the revenue records in the year 1951-52. He shall also prepare a list of the ponds which are under the encroachment or in respect of which the lease has been granted;

3- we charge the Additional District Magistrates (Finance & Revenue) of each District of the State to comply these directions;

4- the Collectors shall proceed to cancel the lease of the ponds and restore the ponds in accordance with law and directions issued by the Supreme Court. The Collectors shall send a progress report in every six month to the Committee constituted by the Chief Secretary;

5- the Committee shall hold its meeting, at least, after every three to four months and monitor the progress of restoration of ponds in the State. In case any legal impediment arises, the Collector shall apprise the monitoring Committee, which shall issue appropriate guidance to the Collector concerned in accordance with law; and

6- the other Committees, which were constituted earlier at State level and District level, shall also send their report to the Monitoring Committee.

2- जनहित याचिका संख्या-1474 of 2019, Support India Welfare Society vs. State of U.P. and other में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09. 2019 के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति गठित किया जाता है:-



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एव जल संसाधन [illegible]-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE), अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

| | |
|---|---|
| आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद | अध्यक्ष |
| विशेष सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य |
| विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | सदस्य |
| विशेष सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| विशेष सचिव, न्याय विभाग | सदस्य |
| पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का हो। | सदस्य |
| उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, उ0प्र0 राजस्व परिषद | सदस्य संयोजक |

3— मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, बैठक के समय अलग से श्री रामसूरत राम मौर्या, पूर्व मा0 न्यायाधीश को बैठक विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करेंगे।

4— समिति अपने स्तर से प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से सम्पर्क स्थापित कर सूचना एकत्रित करते हुए बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समय–समय पर आख्या मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति मा0 न्यायालय के आदेशों के कम में अधिक सक्रियता एवं कम सक्रियता वाले जनपदों का गहनतापूर्वक विश्लेषण करते हुए आख्या राज्य स्तरीय कमेटी एवं शासन को प्रस्तुत करेगी।

5— समस्त जिलाधिकारी प्रदेश के तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या–1474 of 2019, Support India Welfare Society vs. State of U.P. and other में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16. 09.2019 के पृष्ठ–15 के उप प्रस्तर–(II) से (VI) के सम्बन्ध में 1951–52 को आधार वर्ष मानते हुए तालाबों की सूची बनाने एवं अन्य दिशा निर्देश हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0 व रा0) को निर्देशित किया जाय।

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–142(1)/एक–2–2020 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(धीरज साहू)
विशेष सचिव।

Oath Commissioner Civil Court Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(15)(IWR), समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

# उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, सन् 2012)

(उ0प्र0 अध्यादेश सं0 4 सन् 2015 के द्वारा यथासंशोधित)

## अध्याय–एक

### प्रारम्भिक

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2 **संहिता का लागू होना**– इस संहिता के उपबन्ध, अध्याय आठ और नौ को छोड़कर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय आठ और नौ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।

3 **संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार**– (1) जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का संपूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किए गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझे जायेगें।

(3) राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है।

4 **परिभाषाएँ**– इस संहिता में :–

(1)''आबादी'' या ''ग्रामीण आबादी'' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा, सहन व हरे वृक्षों, कुआँ आदि के लिए किया जा रहा हो या जिसे एतद्पश्चात ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किया जाए ;

(2) ''कृषि'' के अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate A.T.



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

66 **आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच--** (1) कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

67 **ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरूपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति**–(1) जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरूपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो वहां यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखपाल विहित रीति से सम्बन्धित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरूपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरूपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरूपयोग के लिये या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जाय।

(4) यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में

Oath Commissioner A.T.T. Lucknow Civil Court



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

निर्दिष्ट क्षति या दुरूपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है।

(6) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधो के अध्यधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अध्यधीन अन्तिम होगा।

(7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।

**स्पष्टीकरण–** इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'भूमि' में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं।

67–क **कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त–**(1) यदि धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

(2) जहां पर धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2000, को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण–** उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।

68 **गांव निधि–**(1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी :

परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।

(3) गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

69 **समेकित गांव निधि–** (1) प्रत्येक ज़िले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्–

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट धनराशि;

Oath Commissioner A.T.A. Lucknow Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-8 Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE(...), समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

संख्या 26, सन् 1947) की धारा 42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

**स्पष्टीकरण–** इस उपधारा के प्रयोजन के लिए:–

(एक) "आवंटन" में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवंटन, सम्मिलित है;

(दो) **"निरसित"**;

(तीन) किसी व्यक्ति को "भूमिहीन" समझा जाएगा, यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों, और जहां आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहां उसके माता–पिता के पास **आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष** की अवधि में कोई भूमि न रही हो;

(चार) पद "स्वतन्त्रता सेनानी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो;

(पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) **अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची–1** में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छः) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूमि को मिलाकर, जो आबंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी की रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेअर **से अधिक न हो।**

127 **आवंटन का परिणाम–**(1) जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंटित की जाए, और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, **ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।**

(2) आवंटी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह–आवंटी होगी।

128 **आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना–** (1) कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाए कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।

(1–क) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात किये गये

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SE, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।

(2) जहां किसी भूमि का आवंटन या पट्टा उपधारा (1) के अधीन निरस्त किया जाए, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :–

(क) ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटिती या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा, और वे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् ग्राम पंचायत को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहां वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाय, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए अन्तिम होगा।

(5) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 5 और 49 के उपबन्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

129 **आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली–** (1) जहाँ धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहाँ राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है या करा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Court

32

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–1

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2015) की धारा 233 सपठित धारा 21 उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 1904), में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, निरसित अधिनियमों के अन्तर्गत बने सभी नियमों को विखण्डित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

# उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

## अध्याय–एक

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(ख) यह नियमावली गजट में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो –

(क) 'परिशिष्ट' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न परिशिष्ट से है।

(ख) 'परिषद' का तात्पर्य संहिता के अन्तर्गत गठित राजस्व परिषद से है।

(ग) 'अध्यक्ष ' का तात्पर्य परिषद के अध्यक्ष से है।

(घ) 'संहिता' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से है।

(ङ) 'नामिका वकील' का तात्पर्य ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरूद्ध वाद, प्रार्थना–पत्र या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये संहिता या इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी हैं।

(च) 'आर0सी0 प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न आर0सी0 प्रपत्र से है।

(छ) 'राजस्व न्यायालय मैनुअल' का तात्पर्य संहिता की धारा 234 के अधीन अथवा संहिता द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये राजस्व मैनुअल से है।

(ज) 'राजस्व मैनुअल' का तात्पर्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेशों के मैनुअल से है।

(झ) 'धारा' का तात्पर्य संहिता की किसी धारा से है।

(ञ) 'ग्राम राजस्व समिति' का तात्पर्य संहिता की धारा 225–ग के अन्तर्गत गठित किसी समिति से है।

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariat

File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

(6) यदि प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जाता है तो प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया जायेगा जिसे उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(7) जहां कार्यवाही स्वःप्रेरणा से प्रारम्भ की जाती है वहां कलेक्टर आवंटन के आदेश में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होने और अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये आहूत करेगा।

(8) साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा लेकिन दिन प्रतिदिन की जांच का ज्ञाप कलेक्टर द्वारा अभिलेख पर रखा जायेगा।

(9) यदि जांच करने पर कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि आबंटन अनियमित है तो वह आबंटन निरस्त करेगा और उस पर आबंटी और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, स्वत्व और हित उस भूमि में समाप्त हो जायेगा और वह भूमि पुनः ग्राम पंचायत में निहित हो जायेगी।

(10) कलेक्टर प्रकरण के दर्ज किये जाने के दिनांक से छः माह से अनधिक अवधि के अन्दर जांच को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि उपरोक्त अवधि के अन्दर जांच पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित करेगा।

सहायक कलेक्टर को सूचना (धारा 67)

66. धारा 67(1) के अन्तर्गत वांछित सूचना सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सचिव अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–19** में सहायक कलेक्टर को दी जायेगी।

सहायक कलेक्टर द्वारा अग्रेतर जांच (धारा 67)

67. (1) नियम 66 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने या अन्यथा उनकी जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी वह उचित समझे और निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अग्रेतर सूचना प्राप्त कर सकेगा :–

(क) सम्पत्ति को अवैध अध्यासन अथवा दुर्विनियोजन से हुयी क्षति का विवरण जिसमें गांव, खाता संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और उक्त क्षति अथवा दुर्विनियोजित की गई सम्पत्ति का बाजारी मूल्य;

(ख) ऐसे दुर्विनियोजन या अवैध अध्यासन से सम्पत्ति को पहुँची क्षति के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पितृनाम और पूरा पता;

(ग) अवैध अध्यासन की अवधि, क्षति या दुर्विनियोजन और सम्मिलित भूखण्डों की भूमि की श्रेणी;

(घ) सम्पत्ति जिसे क्षति पहुँचायी गई अथवा दुर्विनियोजित की गई उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित मूल्य और

Oath Commissioner Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-MSY, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

नुकसानी की रकम जिसकी वसूली की मांग की गयी।

(2) तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर धारा 67(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आर0सी0 प्रपत्र–20 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यासन के लिये नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी रकम से अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों न की जाय और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न कर दिया जाय।

(3) यदि धारा 67(2) के निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि–

(क) ऐसे व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर बेदखल किया जाये; अथवा

(ख) सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यासन या क्षति के कारण आदेशित की गई क्षतिपूर्ति, उपनियम (3) में उल्लिखित व्यय की रकम सहित, यदि विनिर्दिष्ट समय में अदा नहीं की गयी है तो, भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाये।

(4) वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा निष्पादन हेतु आये खर्चे का उल्लेख ऐसी नोटिस में किया जायेगा जो कि निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी :–

(क) क्षति अथवा दुर्विनियोजन के प्रकरण में नुकसानी की रकम प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) किसी भूमि पर अवैध अध्यासन की दशा में क्षतिपूर्ति की रकम प्रत्येक वर्ष के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर आगणित भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर होगी।

(ग) निष्पादन हेतु आगत हुए खर्चे का आगणन इस प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के आधार पर किया जायेगा।

(5) यदि भूमि पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति उसमें खेती किया है तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यासन में बने रहने की इजाजत दी जा सकती है बशर्ते कि वह सर्किल रेट के अनुसार आगणित उस भूमि के बाजारू मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम जमा कर देता है जो कि समेकित गांव निधि में अथवा ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के निधि में जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति आर0सी0 प्रपत्र–20 की नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल

Oath Commissioner A.T. Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

सहित कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगा।

परन्तु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति उसी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकारिता के अन्तर्गत किसी अन्य भूमि पर फिर से कब्जा करता है, वहां उसे तुरन्त उससे बेदखल कर दिया जायेगा और उस खाली भूमि का अथवा उस पर स्थित फसल सहित कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को दे दिया जायेगा।

(6) सहायक कलेक्टर कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के अन्दर धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(7) उपनियम (5) की कोई बात भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस व्यक्ति, जो इस संहिता अथवा नियमावली के अन्तर्गत बेदखल कर दिये जाने के बावजूद दोबारा उसी भूमि पर अतिक्रमण करता है, को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 447 के अन्तर्गत अभियोजित करने से बाधित नहीं करेगी।

(8) प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में **आर0सी0 प्रपत्र–21** में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में लगायी गयी नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूल किये जाने के लिये आदेशित रकम का विवरण दर्शाया जायेगा।

(9) ऐसा ही रजिस्टर प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी अनुरक्षित किया जायेगा जिसमें ऐसी कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शायी जायेगी। तहसील पर अनुरक्षित रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान कलेक्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से, उसमें की गयी प्रविष्टियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिये, किया जायेगा।

(10) धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही में अधिरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शाने वाली प्रगति आख्या प्रति वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। परिषद जिलों से इस प्रकार प्राप्त आख्यायों को समेकित करने के पश्चात उसे सरकार को प्रेषित करेगा।

(11) नियम 66 और 67 की कोई बात किसी ऐसे मामले, जिसके लिये

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

संहिता की धारा 67 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, के सम्बन्ध में तत्समय लागू विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपना अधिकार, स्वत्व अथवा हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी।

गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त (धारा 67–ए)

68. (1) जहां संहिता की धारा 64 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने धारा 63 में अभिदिष्ट किसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं की गयी हो, कोई मकान बना रखा हो और ऐसा मकान 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसा मकान–स्थल उस मकान के स्वामी द्वारा ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जायेगा जो नियम 64 में नियत किया गया है।

नोट :– संदेह के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि संहिता की धारा 67–ए (1) अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अन्तर्गत बन्दोबस्त किया गया स्थल का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां धारा 64 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार की (जो सरकारी पट्टेदार न हो) किसी भूमि पर मकान बनाया हो और ऐसा मकान 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान हो, तो यह समझा जायेगा कि मकान का स्वामी ऐसे मकान के स्थल को निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर धारण किये है–

(क) संहिता की धारा 67–ए (2) अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन बन्दोबस्त किये जाने वाले स्थल का अधिकतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) मकान का स्वामी तथा उसके उत्तराधिकारियों का स्थल में आनुवंशिक हित होगा तथा सुखाचार के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये, स्थल पर विद्यमान वृक्षों तथा कुओं का उपयोग करने का भी अनिर्बन्धित अधिकार होगा।

(ग) उसे सुखाचार के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये आवासीय मकान बनाने के लिये स्थल के उपयोग करने का अधिकार होगा।

(घ) मकान का स्वामी स्थल के सम्बन्ध में खातेदार या राज्य सरकार को भविष्य में किसी लगान का देनदार नहीं होगा।

(ङ) स्थल पर उत्तराधिकार ऐसी स्वीय विधि द्वारा, जिसके अधीन मकान का स्वामी था, प्रशासित होगा।

(च) मकान के स्वामी तथा उसके उत्तराधिकारी किसी भी आधार पर बेदखली के योग्य न होंगे।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों के अनुसार शासित होगें, और

(च) यह कि पट्टे की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, असामी भूमि का कब्जा समिति को सौंप देगा और असामी का नाम खतौनी से खारिज कर दिया जायेगा।

आबंटन का निरस्तीकरण (धारा 128)

126. (1) कलेक्टर स्वप्रेरणा से धारा 125 के अन्तर्गत किये गये आबंटन में हुयी अनियमितता की जांच कर सकेगा और ऐसे आबंटन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आबंटन में हुयी अनियमितता की जांच करेगा।

(2) जब उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होता है तो कलेक्टर इस बात की जांच कर सकता है कि क्या आवेदक एक क्षुब्ध व्यक्ति है? क्या आवेदन मियाद काल जैसा कि धारा 128(1–क) में दिया गया है, के अन्दर है और क्या वह स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहता है।

(3) जब कलेक्टर मामले मे जांच किया जाना तय करते हैं तब, समिति और आबंटी पक्षकार बनाये जायेंगे तथा ऐसी कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे।

(4) कार्यवाही के लम्बित होने के दौरान कलेक्टर को यह शक्ति है कि वह कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जैसा कि परिस्थितियों को देखते हुये उसे पारित किया जाना न्याय संगत है।

(5) आबंटी और समिति को नोटिस निर्गत होने के दिनांक से तीन सप्ताह का समय प्रति शपथपत्र/आपत्ति दाखिल करने के लिये दिया जायेगा जिसे पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा। रेप्लिका/प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल किये जाने के लिये आवेदक को दो सप्ताह का समय दिया जायेगा जिसे पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(6) कलेक्टर नोटिस निर्गत होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर जांच को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि जांच तीन माह की अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं की जाती है, तो बिलम्ब का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

नुकसानी की दर (धारा 134 और 136)

127. धारा 134(1) के अन्तर्गत नुकसानी के लिए दायर वाद तथा धारा 136(1) के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यवाही में, नुकसानी की दर

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariate



File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:01 PM

में इस रूप में दर्ज था :

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और **पाँच वर्ष** या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(3) **प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।**

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति **उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन** संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह **ग्राम पंचायत** या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम **जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960** में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जाएगा।

77 **कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे–(1)** इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा :–

(क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि;

(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिये किया जाता हो;

(ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा–कदा खेती के लिये किया जाता हो;

(घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू–भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौंगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो;

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow



File No. 27-4005(099)/8/2025 सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation and Water Resources Department-Part(2) (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by मुलायम सिंह यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:03 PM

(च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या **किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी** को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हो;

(छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या **किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी** को सौंपी गयी या सौंपी समझी गयी हो;

(ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो;

(झ) भूमि जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो; और

(ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

**स्पष्टीकरण**—खण्ड (ज) में पद "सार्वजनिक प्रयोजन" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिये पृथग्रक्षित हो;

(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो;

(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित और धृत हो;

(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29—ग में निर्दिष्ट हो, या

(पांच) भूमि जो किसी **ग्राम पंचायत** द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये आरक्षित हो।

(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किये गये भू—खण्ड या भू—खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी:

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरणः— इस धारा की उपधारा (2) में पद 'लोक प्रयोजन' का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ,

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

23/11/2025

(अफजल इमाम फारूक)
शपथ— आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग—4
उ0प्र0 शासन।

File No. 27-4005(099)/8/2025-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4-Irrigation ... (Computer No. 1983972)
Generated from eOffice by ... यादव, RO-(MSY)-SEJ, समीक्षा अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग on 21/11/2025 01:03 PM